Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 04-12-2006

Participants : Singh Shri Manvendra,Yadav Shri Mitrasen,C.S. Sujatha Smt. ,Chowdhury Shri Adhir Ranjan,Radhakrishnan Shri Varkala,Patel Shri Dahya Bhai V.,Bellarmin Shri A.V.,Singh Ch. Lal,Kumar Shri Shailendra,Panda Shri Prabodh,Yadav Dr. Karan Singh,Meinya Dr. Thokchom,Lagadapati Shri Rajagopal,Thomas Shri P.C.,Tahir Shri Mohammad,Singh Shri Ganesh Prasad,Jai Parkash Shri ,Singh Kunwar Rewati Raman,Yadav Shri Ram Kripal,Singh Ch. Lal,Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy,Francis George Shri K.,Acharia Shri Basudeb,Ramadass Prof. M.,Bhavani Rajenthiran Smt. M.S.K.,Jha Shri Raghunath,Chaure Shri Bapu Hari,Francis George Shri K.,Sharma Dr. Arvind,Radhakrishnan Shri Varkala

an>

Title: Discussion regarding Report on the State of Panchayats- A Mid-Term Review and Appraisal-2006, laid on the Table of the Lok Sabha on 23.11.2006.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No. 14 : Discussion Under Rule 193 – Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, after the 72nd and 73rd Amendments were enacted and passed in this House in 1992, I think, it is for the first time that this House is discussing the roles and responsibilities being discharged by the Panchayati Raj Institutions.

I would like to congratulate the hon. Minister of Panchayati Raj because after his taking over the charge of the Panchayat Raj, it is for the first time that a separate Ministry has been created for Panchayati Raj. Before that, there was no separate Ministry for Panchyati Raj Institutions.

It was committed in the National Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance Government that more and more power would be devolved in the Panchayati Raj Institutions; and the Panchayati Raj Institutions would be a real centre for development of our rural areas where more than 70 per cent population live.

Sir, till today there is wide variation and gap between the rural and urban India. According to the 2001 Census, the percentage of households with pucca houses in the urban India is 70.70 whereas in the rural India, this percentage is only 29.20. Similarly, 63.85 per cent of the households in the urban India have access to toilet facilities whereas 9.48 per cent of the households in the rural India have access to toilet facilities. Then, 81.38 per cent of the urban households have access to safe drinking water whereas 55.40 per cent of the rural households have access to safe drinking water. Similarly, 75.78 per cent of the urban households have electricity connections whereas 30.54 per cent of the rural households have got electricity connections. These are the figures as per the 2001 Census. There may be a slight increase in these figures during these five-six years.

Urban literacy rate is 80.06 per cent but rural literacy rate is 59.21 per cent. The life expectancy at birth is 66.3 years for urban India and 59.4 years for rural India. The infant mortality rate is 51 per thousand in urban area and 84 per thousand in rural area. Sir, 73.3 per cent of urban births was attended by health professionals, whereas the figure is 33.5 per cent for rural India.

Barring sex ratio, there is not a single socio-economic indicator that is better for rural India than urban India. That is hardly surprising. We should finally recognize this when we talk about providing urban amenities in rural India. There is lack of infrastructure. Implicit subsidies that pour into urban India provide trigger for rural-urban migration. Here, the importance lies with our Panchayati Raj system, Panchayati Raj institutions.

The gap between rural and urban India should be bridged. There is a talk of shining India. India is shining not for the rural people but for only 10 per cent of the people of our country.

The Panchayati Raj institution has a long history in our country. Even before Independence, attempts had been made to set up Panchayati Raj institutions. The dream of Mahatma Gandhi has not yet been fulfilled. What Mahatmaji had said was that there cannot be complete *swaraj,* unless we have *gram swaraj.* Without *gram swaraj,* we cannot have complete *swaraj.* Twenty people sitting at one place cannot work for lakhs and lakhs of people of our country. Although it has a long history, what we have seen in the past is that before 1992, when the Constitutional amendment was enacted in this House in Parliament, there was no Constitutional provision.

I can tell you about my State. The Panchayati election was not held for 14 long years earlier. It was held in 1963. When the Left Front Government came to power in 1977, in the programmes of the Left Front Government, the number one programme was that within one year the Left Front Government would hold election to the Panchayats and devolve power to the Panchayats, the representatives of the people of our country. Exactly within one year, the Panchayati election was held. For the first time, the poor people, the *Adivasis*, the Scheduled Caste people and agricultural labourers were elected to the Gram Panchayat. The agricultural labourers became Gram Pradhans. We call them Gram Pradhans. They became Presidents of the Panchayat Samitis, the intermediary bodies.

The Tribal people and *Adivasis* became Presidents although at that time, there was no reservation. Reservation came only after 73rd and 74th Amendments.[MSOffice16]

That was his idea. He was behind that Bill, although he was not a Minister at that time. But he actively participated, laboured to bring such a Bill, to make the Panchayat Raj institution a real institution. The credit goes to Shri Mani Shankar Aiyar. I have already congratulated him for preparing a voluminous report. I have had a cursory glance of the same. I have seen how laboriously he has compiled it. You can get everything within these three volumes of the report.

In spite of the fact that there was no provision of reservation for Panchayat Raj system, the agricultural labourers, the *Adivasis* came to power. You will be surprised to know that within six months of Panchayat Raj elections, there was a flood in our State. Seven to eight districts

were flooded in 1978. We have seen how the representatives of the people helped the flood-affected people. Even some of the people's representatives lost their lives while helping the flood-affected people.

This Mid-Term Review – an Appraisal has been placed before the House, just after two-and-a-half years of this United Progressive Alliance Government came to power. These reports contain the experience of the people who are involved to make the Panchayat Raj institution a real institution. Seven Roundtable meetings were held. He identified seven subjects. All the Ministers of Panchayat Raj of the States attended the meetings and they deliberated on it. The experts were invited to know the experience, the problems etc. and not only knowing the problems but how these problems can be tackled. All this experience has been compiled and incorporated in this voluminous report.

What are the real problems? One problem is devolution of power. No one wants to share the power with others. After the Central Government, the State Government then comes the Panchayat Raj institution. What will happen if you give them power, what is called activity mapping? Some of the States have very efficiently done it and some of the States are now doing and some of the States will do it in future. What are the real problems that today our Panchayat Raj system or institution is facing?

With devolution of power, if there is no devolution of finance, how can the development work be implemented by the Panchayats? In West Bengal, in 1978, the election was held on the basis of the 1974 Act. That Act was passed when the Congress was in power.[MSOffice17]

At that time, the Left Front Government did not think that without amending this Congress-enacted Act, they would not hold the election because the commitment was given to the people of West Bengal that within one year, panchayat elections would be held. On the basis of the Act which was enacted in 1974 when the Congress was in power, the election was held.

Now, we have got the experience. I was also elected to Zila Parishad at that time. I contested election for the first time in my life and got elected. I became a member of the Zila Parishad. I became *Karmadhyaksh, Sthai Samitsi* of Zila Parishad. It is a District Panchayat. What was our experience? At that time, people found their representatives in their villages. At that time, there was no Gram Sabha and there was no Gram Sansad, like social auditing which we are emphasising. Today, we are having *Gram Unnayan Samiti*. We have District Council where the Leader of the Opposition in the Zila Parishad is the Chairman. Here, it has been suggested that something like Public Accounts Committee should be there, but the District Council can be treated as a Public Accounts Committee, whose chairman is the Leader of the Opposition in Zila Parishad. Today, we have *Gram Unnayan Samiti*, after we have got the experience and known the difficulties. Initially we did not have any fund to implement all these projects. People had aspirations because there was no road, no water, no drinking water, no irrigation system etc.

Sir, this is a very important subject and three voluminous reports are there. So, I will take some time.

Sir, there was no drinking water, no irrigation system, no primary school in villages. So, we faced the problem of funds in fulfilling all these things; I am talking of civic amenities required for human life. Gradually, the State Finance Commission was constituted and Panchayati Raj Institutions started receiving funds.

Sir, you will be surprised to know that we found the panchayats headed by the poorest among the poor, the tribals, the *adivasis*, the Scheduled Castes, the agricultural labourers performing and discharging their responsibilities efficiently, without any corruption. That is our experience.

Today, after 24 years, we are still discussing about devolution, devolution of power, devolution of various Departments and various subjects. What is our experience of the last 24 years? Why have we not yet been able within these 24 years to fulfill the task, which was set out in 73^{rd} and 74^{th} amendments to the Constitution?[s18]

Hence, our Minister had to go around the country. He has visited almost all the States. He has also attended the Gram Sabha meetings. He went to the villages to get the experience of how the Panchayati system is running. But even after 24 years, we are still discussing the devolution of powers. According to me, more and more powers are to be devolved. Otherwise, the dream of Mahatma Gandhi would not be fulfilled that real power should be given to the people of our country.

Today, we have agrarian crisis as the farmers are committing suicide. Can our Panchayati Raj system not help these farmers? The Prime Minister while addressing a meeting of the Chief Ministers gave this innovative idea or good concept that in order to bridge the gap we have to empower the people financially. He stated that : "The rural business hub, which is a Chinese model". If the people are not empowered financially, then industrialization will take place in the urban areas.

A Committee was constituted for disbursal of industries in 1976, and that Committee's recommendations have not yet been implemented. The Committee also recommended that industries should be setup in rural areas for disbursal of industries in our country, but this has not been done. He has stated about Public-Private Partnership in the Report. What has China done? China has not only setup big industries and model industries, but China has revived its traditional rural industrial also where more and more employment can be given. We also have traditional industries, and rural industries. The Panchayati Raj system can help to revive these rural industries. This is possible with a change of policy outlook, and attitude of the Government. Our rural industries can be modernized and can be revived, and more and more people given employment with technological and scientific help.

Today, unemployment is growing, but the growth of employment opportunities is much less in rural areas as compared to urban areas. The growth in employment opportunities in the rural areas is only 0.95 per cent whereas the population growth is 1.87 per cent. Therefore, unemployment is growing. The real issue is to empower the people financially, and politically. Politically means, by electing them to the Panchayati Raj system, and to financially empower them to give employment; create a centre or hub in one Panchayat Samiti or in one block

development area where our traditional industries are there. I can give you examples for the same. Purulia is famous for lac, which they sell in my district.[r19]

There are very good cottage industries and there are lac growers there. There are more than one lakh families engaged in lac growing. Can the Panchayati Raj institution not help these people who are engaged in traditional farming and traditional industries?

I come from Bankura constituency in West Bengal. Bankura is a District where the largest number of rural artisans are there engaged in potteries, bell metal, brass, terracotta, etc. Our terracotta horses are world famous. The Minister of Railways has seen those handicrafts. आपको हमने वह राम जी का घोड़ा और गिलास दिया है। बहुत बढ़िया है।…(व्यवधान) लालू जी वहां जाएंगे। वह हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। मणि शंकर अय्यर जी भी जाएंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : राम जी का घोड़ा इनको भी दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, Bankura is the District in where there is the largest number of rural artisans.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more than half an hour. Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, these rural artisans need help. These rural artisans hope is the concept paper which is in the conceptual stage even after one year. The Prime Minister spoke in the month of June and then he reiterated in the month of December but till date nothing has been done in this regard to materialize it. Our Minister might be busy, he was busy for preparation of this report and going around the country but this is also important. Why is it important? Financially we will have to empower the rural people thereby we can help the self-help groups. Lakhs of self-help groups have been created today in the State of West Bengal. There are more than four lakh self-groups. They are producing various commodities... I have requested Laluji when he was in West Bengal that products of self –help groups … महिलाओं का जो स्व-सहायता ग्रुप है और उनका जो प्रोडक्ट है, वह हमने रेलवे को खरीदने के लिए कहा है।…(व्यवधान) So, this rural business will definitely help our self-help groups. Lakhs of self-help groups have been formed. They are producing various commodities. There is a problem of marketing. This will definitely help in marketing of the production of self-help groups.

In Panchayats there is a sub-plan for Scheduled Castes and Scheduled Tribes but there is no sub-plan for minorities. Sarkaria Commission had submitted its report. It was suggested that a sub-plan should be there for minorities also. The Minister has gone through the report, the conditions of Muslims, the minorities in the rural areas is worse. It is not any better than that of Dalits.

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ, MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): You mean, Sachar Committee?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, Sachar Committee, I am sorry I said Sarkaria Commission. So, when there is a sub-plan, certain percentage of funds are earmarked for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, my suggestion is that there should be a sub-plan for minorities and a percentage of the funds should be earmarked for the development of minorities also.[r20]

I have seen the statement of Dr. Raghuvansh Prasad Singh. While referring to the Employment Guarantee Scheme, he has in his mind that some funds should be earmarked for the minorities also, particularly, Muslims, for their development.

श्री लालू प्रसाद : माइन्स से निकाल गये।

श्री बसुदेव आचार्य : आप निकालियेगा।

Transparency is required in *Gram Sabhas* and *Gram Sansad*. Corruption is really a problem but it is not a major problem. Even if there is a percent corruption, then, we should give serious thought to it. Once while inaugurating the meeting of the *Panchayats* in Kolkata, Shri Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, said that when we send one rupee from Delhi, it becomes only 25 paise when it reaches the people. बीच में ही सब खा जाते हैं। So, in order to reduce corruption or root out corruption, what is required is transparency in the functioning of the Panchayats.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some other Members of your Party also want to take part in the discussion. Hence, please conclude. Otherwise, we will not be able to conclude the discussion.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I am not speaking on behalf of my Party. My party's time will be given to other speakers. I am conscious about this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. The time allotted is four hours. We have to conclude this debate within four hours.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It has been decided that the debate on this will continue till 10 o'clock. In the meeting, you were also present. At the end of the discussion, hon. Minister would reply. We will be here to hear his reply.

Transparency is required. How can we bring this transparency? A system can be introduced where people would know as to how much is the work, as to how much funds have been allocated, how many people are working, and how many man-days would be created? Frequency of the meeting of *Gram Sansad* should also be increased now. As per the rules, the meeting of *Gram Sansad* should be held twice a year. One meeting will be held in the month of June and another in the month of November. Holding a meeting in November is a problem because of harvesting. So, I hope the hon. Minister would definitely think over it. During harvest period, people do not find time to attend the meeting. Now when *Gram*

Sabha meeting is held, a system of social audit is carried out and institutionalized because in *Gram Sabha* meeting, *Pradhan* has to submit the details of the expenditure - as to how much funds has been received by him, as to how much expenditure has been made, as to which are the projects which are undertaken. Even vouchers have to be submitted. [r21]

So, these meetings should be held frequently. Likewise, the Panchayat *sansad,* zila parishad *sansad* and the *gramin* committee where people elect their representatives to oversee the functioning of the panchayats, should also be institutionalized.

Today, panchayat is not just engaged in the development of the rural areas. The Rural Health Mission has already been launched; it has the responsibility, but with lack of infrastructure and with lack of staff, how can this responsibility be discharged? We have to think over it. Unless there is participation of people – through panchayats, people's participation can be made – how can we have total sanitation? I have already told that only 6.89 per cent of the rural population has access to toilets.

Education is also the responsibility of the PRIs today. There has to be a real participation of the people. How the local assets can be utilized today? Without giving more power both financial and otherwise, the PRIs will not be able to discharge its responsibility.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. You have taken more than sufficient time.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Now, there is a need to re-look – with the experience that we have got during the last 24 years – at the difficulties and problems, and we have to make the PRIs as the real institutions.

14.58 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

It will transform the lives of the people who are living in the rural areas. There is a big gap between urban and rural and that has to be bridged. How can we and how will we be able to bridge this gap? The basic amenities, the basic infrastructure, irrigation facilities, agricultural production, health, sanitation, education – all these activities are to be properly done by the PRIs. For that, there

is a need for political will. Unless there is political will, we will not be able to make these PRIs, real institutions. What we have seen in the past? The panchayats were under the control of certain sections of the people of our country, whose interest was to protect the interests of a few people of the rural areas. [MSOffice22]

15.00 hrs

After 73rd and 74th amendments reservations were made and there was a change in the balance of power in rural areas. That has to be made real, otherwise the Panchayati Raj Institution will not be able to discharge its responsibilities. There is a need to strengthen it; strengthen with an aim to serve the people of rural area.

I was talking about the empowerment of the people for which land reform is required. Today barring two or three States, land reforms have not been implemented. The number of agricultural labourers is increasing because there is crisis in the agricultural production. Agricultural production is reducing. We have seen in a number of districts in West Bengal, during these 30 years of Panchayati Raj Institution, there is a growth in the agricultural production. There is a complete change in the rural economy. Unless there is a change in the rural economy we cannot say that we, or our country, are progressing. There lies the role of Panchayati Raj Institution. I hope, that after seven round table meetings, after so many deliberations, preparation of voluminous report and the suggestions that have come, the Government will seriously think over them to make the Panchayati Raj system a real institution of the rural people of our country.

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): माननीयसभापति महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा हो रही है, मैं भी पंचायतों की स्थिति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम और आप सभी जानते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्ता, लगभग 80 फीसदी हिस्सा ग्रामीण अंचलों का है। जहां ग्रामीण जनता रहती है, मैं उस परिप्रेक्ष्य की बात करना चाहता हूं। जब भारतर्वा में राट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन लड़ा तो राट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य का नारा दिया। उन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ने से पहले ग्रामों में भ्रमण किया और जिस गरीब को दो वक्त की ठीक से रोटी नसीब नहीं होती थी, वहां जाकर देखा कि वास्तव में भारतर्वा के ग्रामीण अंचलों की क्या स्थिति है।[rep23]

सभापति महोदय, तभी से ग्रामीण अंचलों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्राम सभाओं के विकास के लिए मंथन और अध्ययन चलता रहा है। आजादी के बाद, प्रथम बार इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी जी ने इस बारे में प्रयास किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय भी मथुरा से संसद का सदस्य बनकर आया था। उन्होंने पहला पंचायतीराज कानून इस सदन में पारित कराया और उसके साथ प्रथम बार यह हुआ कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेशों की ग्राम सभाओं को जो पैसा दिया जाता था वह जिले के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद वह सीधा ग्राम सभाओं को दिया जाने लगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम प्रधान, जहां प्रधानों को सरपंच बोला जाता है, वहां सरपंच अथवा पंचायतों की जो भी जिम्मेदार इलैक्टेड बॉडी थी, उसके साथ बैठकर विचार किया जाता था और प्रस्ताव के अनुसार काम होता था। आज भी वही व्यवस्था है। उसके माध्यम से वह पैसा गांव के विकास में

लगाया जाता रहा है। उसके बाद जैसे-जैसे अध्ययन हुआ, जैसे-जैसे गांव की मांग बढ़ी, जैसे-जैसे इस सम्मानित सदन में विचार किया गया और लोगों के विचार आए, वैसे-वैसे सुधार होता रहा।

बड़े हर्ा की बात है और मैं यू.पी.ए. सरकार के प्रधान मंत्री तथा यू.पी.ए. की चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में सर्वप्रथम एक योजना बनाई जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए राट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का प्रस्ताव किया गया। इसके साथ-साथ एक दूसरी योजना और बनाई गई जिसके अन्तर्गत बैकवर्ड रीजन डैवलपमेंट फंड बनाया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसे पंचायतीराज मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इससे हमारे पंचायतराज मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर जी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वैसे भी वे एक योग्य, कुशल एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायतों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा माननीय सदन में ग्रामीण विकास के लिए जो चिन्ताएं जाहिर की जा रही हैं, वे दूर होंगी और ग्राम पंचायतों को और मदद मिलेगी। मुझे ि वश्वास है कि मंत्री जी के नेतृत्व में उनके मंत्रालय द्वारा देश की प्रत्येक ग्राम सभा को चाहे वह किसी भी प्रान्त में हो, उसके विकास हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा।

महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। वहां क्या स्थिति है, यह हमसे छिपी नहीं है। सदन के सभी माननीय सदस्य ग्रामीण विकास से अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि प्रायः प्रत्येक सदस्य के चुनाव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। आज आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतों के डैवलपमेंट के लिए उन्हें और अधिक अधिकार तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। देखने में आता है कि भारत सरकार की ओर से अनेक योजनाएं देशभर में चलाई जाती हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार से पैसा जिलों में जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से कार्य कराने हेतु जो पैसा पंचायतों को दिया जाता है उससे पंचायतों के अन्तर्गत काम कराया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को जो एमाउंट दिया जाता है उसमें जनसंख्या का आधार लिया गया है।[r24] अगर किन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जहां अधिक है, वहां पर पैसा अधिक दिया जाता है, जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पैसा कम दिया जाता है, मगर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आबादी क्षेत्रों में क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां विकास की आवश्यकता ज्यादा होती है। वहां सड़कों की आवश्यकता होती है, वहां पर अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जनसंख्या के साथ-साथ गांव के क्षेत्रफल का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो राज्य वित्त निगम है, उसमें उन्होंने कुछ मापदण्ड तय किये हुए हैं कि उसके द्वारा खड़ंजे, नाली, पुलिया या थोड़ी बहुत बिल्डिंग बनवाएंगे, लेकिन इसके साथ-साथ ग्रामसभाओं की बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जिनके लिए ग्रामसभा स्वयं प्रस्ताव वहां पर पारित करे और मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन प्रस्तावों के आधार पर राज्य वित्त निगम को पैसे का आबंटन करना चाहिए, जिससे कि लिमिटेड साधनों में लिमिटेड विकास कार्यों को न लिया जाये। उसके साथ-साथ विकास कार्यों का दायरा और अधिक बढ़ाया जाये। इसके साथ सम्पूर्ण स्वच्छता एक अभियान इस सरकार के माध्यम से गांवों में योजना जाती है, उसमें भारत सरकार ने 1500 रुपये एक टायलेट बनाने के लिए रखा है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण अपने घर में उस टायलेट को बनवा सकता है। मगर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर गांव में बहुत से लोग रह जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, क्योंकि पूरे गांव को हम उसमें कवर नहीं कर पाते। अधिकतर हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, ग्रामीणजन खेतों पर जाकर शौच करते हैं, जिससे गंदगी भी होती है और आज के इस बढ़ते हुए समाज में यह एक शर्म की बात भी है, इसलिए यह आवश्यक है कि गांवों में कम्युनिटी टायलेट महिलाओं के लिए अलग और पुरुों के लिए अलग बनाये जायें और सरकार जो मजदूरी 58 रुपये रोज देती है, उस पर उन टायलेट्स में आदमियों को रखा जाये, जिससे कि वे उसकी सफाई और देख-रेख करें और ग्रामीण अंचलों में जो ग्रामसभा की जो जमीनें हैं, ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुसार कम्युनिटी टायलेट्स की स्थापना अवश्य की जाये। यह जो 1500 रुपये का धनराशि है, इसको बढ़ाया जाये, क्योंकि हम जो मीटिंग अपने जिलों में लेते हैं, उसमें यह मांग आती है कि यह धनराशि कम है, यह पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि अच्छे टायलेट्स वे अपने घर में बना सकें।

इसके साथ-साथ इन्दिरा आवास की जो योजना है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो उसमें आपने धनराशि 25 हजार रुपये रखी है, जो गरीब लोग होते हैं या जैसा ग्रामीण विकास मंत्री जी ने यहां कहा था कि आगजनी की घटनों होती हैं, बाढ़ आती है, उससे जो तमाम मकान ध्वस्त हो जाते हैं, उनको बीस हजार रुपया दिया जाता है, इसमें मेरा आपसे यह अनुरोध होगा, यह पहले था कि वहां पर एक कमरे का प्रावधान था, उसके साथ एक टायलेट था, उसके साथ एक रसोईघर था और उसके साथ बरामदा था। बाद में पता नहीं, शासन के द्वारा इस योजना को समाप्त करके एक लमसम धनराशि दी गई, जो करीब 20 हजार रुपये है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उस पैसे को बढ़ाकर, क्योंकि आज महंगाई भी बढ़ी है, हर चीज के रेट बढ़े हैं, ईंटों का रेट बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है, सीमेण्ट के पैसे बढ़े हैं, हर चीज की कीमत बढ़ी है, इसलिए इसको कम से कम 35 हजार रुपये करना चाहिए और इसे 50 हजार रुपये करने की माननीय सांसदों की मांग है कि इसे 50 हजार रुपये किया जाना चाहिए।[R25][v26]

इसके साथ उसमें एक यूनिट, एक कमरा, एक टायलेट, किचेन और वरांडा का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। हमारी योजना है कि हम भारत वर्ा को ग्रीन रिवोल्यूशन में बदलें। पहले यह व्यवस्था थी कि ग्राम सभाओं की जो जमीनें हैं, उनमें फारेस्ट्री लगायी जाए। ग्राम सभाओं में प्रस्ताव किया जाए और उन जमीनों में प्लांटेशन हो। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पहले यह व्यवस्था थी कि ग्राम सभाओं के विकास के लिए जो पैसा जाएगा, उसका पन्द्रह प्रतिशत उसमें खर्च होगा, मगर अब वह बंद कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसका प्रावधान भी रखा जाए, क्योंकि वन कटते जा रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि प्लांटेशन अधिक हों, इसके लिए ग्राम सभाओं को प्र ोत्साहन मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा, तो वे इस पर भी अपना ध्यान देंगी। इसके अलावा ग्राम सभाओं में प्राइमरी और जुनियर स्कूलों की हालत बेहद खराब है। पैसा जा रहा है, मगर उसके बावजूद जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो देखते हैं कि वह पैसा पर्याप्त नहीं है। जो स्कूल हैं, वे खंडहर हो गए हैं, इमारते गिर गयी हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। ऐसा बहुत सी जगहों में, हर जिले में होगा और मैं समझता हूं कि इस ओर आप विशे ध्यान दें, क्योंकि बच्चे देश का भवि हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन है, इसलिए उनको पूरी सुि वधाओं के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर की भी बहुत कमी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और मैंने कई बार इस सम्मानित सदन में अपने विचार रखे हैं, क्योंकि यह आम-शिकायत आती है, चाहे तहसील स्तर पर या ब्लाक स्तर पर, जो तीस शैय्या अस्पताल बने थे या जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहां डाक्टर्स नहीं जाते। वे कहते हैं कि हम गांव में नहीं जाएंगे, जिससे गांव के लो हेल्थ केयर से आज भी वंचित रहते हैं। महिलाओं के लिए प्रसव के समय वहां लेडीज डाक्टर्स नहीं पहुंचतीं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप रूरल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की स्थापना करें, जिसके अंतर्गत डाक्टर्स की जो इनरोलमेंट हों, उनकी जो नौकरियां लगें, वह रूरल हेल्थ सर्विस के अंतर्गत हों, जिससे उनको गांवों में जाकर ही रूरल हेल्थ केयर की नौकरी करनी पड़े, यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

मेरा सुझाव है कि राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो भारत सरकार ने चलायी है, उसमें पहले हाफ में करीब दो सौ जिले लिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मथुरा भगवान राधाकृण की जन्म स्थली है, मैं मांग करूंगा कि उस योजना के अंतर्गत अन्य जिलों के साथ दूसरे फेज में मथुरा को भी शमिल किया जाए। मैं भारत सरकार, यूपीए सरकार का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील का प्रावधान रखा है, मगर बहुत सी जगह ऐसी हैं, जहां से शिकायतें आती हैं, जिससे कि वहां पर मिड-डे-मील का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मथुरा में एक अक्षय पात्र नामक संस्था है, मैं वहां कई बार गया हूं। मैं यहां सदन के माध्यम से उनकी सराहना भी करना चाहूंगा, उन्होंने मथुरा के जिलों में, शायद उन्होंने और भी जिले लिए हों, मुझे इसका पता नहीं है, साठ हजार स्कूली बच्चों को वे भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उस भोजन में एक दाल, सब्जियां और रोटी दे रहे हैं, उनके पास बड़े-बड़े हाट केसेज हैं, बड़े-बड़े पात्र हैं, अपनी मोबाइल वैंस से वे स्कूलों में भोजन पहुंचाते हैं। [v27] उसके साथ हफ्ते में एक दिन हलवा या खीर भी जाती है। इससे दो चीजें बढ़ी हैं - एक, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है क्योंकि जिन गरीब छात्रों को एक समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं होती, उनको अच्छा और शुद्ध भोजन मिलता है। वह भोजन मैंने भी खाया है। उन्होंने यह कार्य अक्षय पार्क, वृंदावन में प्रारंभ किया है।...(व्यवधान)उन्होंने बताया कि हम अगले वर्ा करीब एक लाख बच्चों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाएंगे। मेरा आग्रह है कि उसमें इसी तरह की संस्थाओं को इन्वॉल्व करें जिससे जो पैसा दिया जा रहा है, उसका उपयोग हो सके।

इसके साथ-साथ मेरा आग्रह होगा कि आज कम्प्यूटर और इलैक्ट्रॉनिक की दुनिया में ग्राम सभाओं को, यदि ग्राम सभा न हो तो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कम्प्यूटर, इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। गांवों में टेलीफोन सुविधाएं जा रही हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं, उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

माननीय मंत्री जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह है कि हम अर्बन डैवलपमैंट करते हैं। उसमें डैवलपमैंट अथॉरिटी हैं जो वहां घरों का निर्माण करती हैं। उन्हें बैंक से लोन मिलता है।...(व्यवधान) क्या गांव में रहने वाला व्यक्ति जो भारतवरश का सिटीजन है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : कृपया मुझे दो मिनट और दिए जाएं।

क्या हम ग्रामीण डैवलपमैंट अथॉरिटी की स्थापना नहीं कर सकते जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन दिलाकर अच्छे मकान उपलब्ध करवा सकें।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। श्री शैलेन्द्र कुमार, आप बोलिए।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से दस माननीय् सदस्य और बोलने बाले हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार, आप बोलना शुरू कीजिए। आपकी बात के अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, वहां उन्हें घरों की सुविधा उपलब्ध करवाएं।

समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्रीमती सी.एस. सुजाता 23.11.2006 को लोक सभा के पटल पर रखे गए पंचायतों की स्थिति - मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन- 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पंचायती राज हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यह बात सत्य है कि आज पूरे देश की कम से कम 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण स्तर पर वास करती है। जैसे सम्मानित सदस्यों ने कहा, यह बात भी सत्य है कि महात्मा गांधी जी ने पंचायतों को आर्थिक तौर पर मजबूत देखने का सपना संजोया था, जिसे कार्यरूप में परिणीत करने का कार्य पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है, जिन्होंने यह सोचा था कि देश में सत्ता का विकेन्द्रीयकरम करने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है।यह उनकी परिकल्पना थी। मैं यह कहते हुए अपने को गौरवान्वित समझूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, तो उसमें आरक्षण देने का कार्य माननीय मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री ने किया था।[MSOffice28]

उसके अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लास या मुस्लिम महिलाओं को भी तमाम जगहों पर सम्मान मिला चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में हो, ब्लाक प्रमुख के रूप में हों, जिला पंचायत के सदस्य हों या बीडीसी या प्रधान चुने गये लोग हों। इसमें उन लोगों को बराबर सहभागिता और स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन 27 मई 2004 को हुआ। इसके पहले यह मंत्रालय ग्रामीण मंत्रालय में आता था। 27-28 जनवरी, 2003 को ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्टेट मिनिस्टरों का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण समृद्धशाली और गांव के विकास को बल देना एक मुख्य मुद्दा था कि किस प्रकार से गांव में समृद्धशाली आये, गरीबी उन्मूलन हो और गांव का विकास हो। इस सम्मेलन में 150 बिन्दुओं पर विचार हुआ था। इसे 14 राज्यों और दो संघीय प्रदेशों में लागू करने का बीड़ा उठाया गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, निधियों और कार्यकर्ताओं का हस्तांतरण करना प्रमुखता थी। इसके साथ-साथ पंचायतों को भी अधिकार दिया गया था जिसमें पंचायत स्तर पर लगभग 30 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की गयी थी। उसी के साथ-साथ इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यों को प्रभावी, सुपुर्दगी, वित्त, कार्यकर्ता आयोजन, ग्रामसभाएं, महिलाएं, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं आरक्षण, अनुसूचित जाति-जनजाति की विशेा समस्याएं, चुनाव लेखा परीक्षा सामांतर निकाय क्षमता निर्माण और परीक्षण, पंचायत रिपोर्ट तथा न्याय प्रक्रिया आदि सभी बिन्दु इसमें प्रमुखता से शामिल किये गये थे।

यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। न्याय पंचायत स्तर पर एक बिल लाने का प्रावधान इस संसद में लाने के लिए वे सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से यह आपका बहुत ही क्रान्तिकारी कदम होगा। गांवों में आपसी विवादों को निपटाने के मकसद से न्याय पंचायत का गठन होना अति आवश्यक है। बहुत छोटे -छोटे ऐसे मामले होते हैं. जो कचहरी, तहसील स्तर पर या थानों में पहुंचते हैं, इससे वहां पर समस्या बढ़ जाती है। इसलिए पंचायती राज लागू होने में ये विशेा महत्व रखेगा। मंत्री जी न्याय पंचायत के गठन का जो बिल लाने जा रहे हैं, वह स्वागत योग्य है।

जहां तक आपने चिंता व्यक्त की है कि पूरे देश में इस पंचायती राज को लागू करने में चाहे नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, बाधा बन रहा है, वह तभी संभव हो पायेगा जब तमाम नक्स्लाइट्स या विरोध करने वाले लोग हैं, जैसे ग्रामीण स्तर या जंगलों में आदिवासी लोगों को आप देख लीजिए जिन्हें समाज में आज पंचायत के नाम पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, वे नहीं मिलीं। यही कारण था कि वे समाज की मुख्य धारा से अलग हो गये । आज जरूरत इस बात की है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाये। इस समस्या का हल आपसी बातचीत से ही हो सकता है। न्याय पंचायतों का मकसद ग्रामीण स्तर पर आपसी विवाद को सुलझाने से जो समस्या हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी है, उसका निस्तारण अवश्य होगा। अब बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़े-बड़े अपराध होते हैं। जब पंचायत को आप सशक्त करेंगे, उनको अधिकार देंगे, तो मेरे ख्याल से वे अपराध भी रुकेंगे। माननीय मंत्री जी ने इस पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवा शक्ति का भी आह्वान किया है। ग्रामीण स्तर पर तमाम नौजवान इस पंचायती राज व्यवस्था में चुनकर आये हैं। उनको भी आपने आह्वान किया गया है कि वे ग्रामीणों को जागरूक करें और ग्रामीण विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

जहां तक पंचायतों के अधिकार की बात है, यह बात सही है कि धन के अभाव से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हमारी पंचायतों में हैं जिसकी वजह से अधिकारी आज भी कुछ सुनते नहीं फिर वे चाहे आपके पंचायत सैक्रेट्री ही क्यों न हो। सबसे ज्यादा ताकत उनको पंचायतों में दी गयी है। वे मनमानी करते हैं।[MSOffice29]

यह भी सत्य है कि गांव स्तर पर हमारे बहुत से प्रतिनिधि ऐसे चुने गए हैं जो बेचारे गरीब हैं और यहां तक कि निराश्रित लोग भी चुने गए हैं। उनको गांव के दबंग लोगों ने पैसा देकर किसी तरीके से चुनवा दिया है, लेकिन उनकी स्थिति एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसी है। वे अपने आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, जिस शोाण, अत्याचार से वे गुजरे हैं, उसकी लड़ाई वे नहीं लड़ सकते हैं। इसके बारे में मेरा सुझाव है कि हमें ऐसी जगहों पर विशेा ध्यान देना चाहिए और इसकी समय-समय पर निगरानी होनी चाहिए। देश में पंचायतों व जिला परिादों में कम से कम 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिसमें से करीब 12 लाख महिलाएं चुनी गयी हैं। यह भी सत्य है कि इतनी बड़ी संख्या किसी भी क्रान्तिकारी बदलाव के लिए बहुत अच्छी संख्या है और अगर इसे सही रूप में सशक्त किया जाएगा तो मेरे ख्याल से हमें ग्रामीण स्तर पर विकास करने में बहुत सहूलियत होगी। जहां तक जिला पंचायत को प्रशासनिक सेवा के रूप में गठित करने की एक परिकल्पना केन्द्र सरकार के पास है जिसमें 22 से 55 वा के स्थानीय लोगों को उस सेवा में रखने की सोच रखी गयी है। यह बहुत अच्छा विचार है, इससे एक बड़ी क्रान्ति, एक आन्दोलन आएगा। इससे केन्द्र सरकार सीधे ग्रामीण पंचाचत से सम्पर्क रख सकेगी, वहां कितना पैसा जा रहा है, कितना विकास हुआ है, यह सूचना आपके पास आ सकेगी। डायरेक्ट ग्राम पंचायत और केन्द्र सरकार कि बीच जो सम्पर्क सूत्र बनेगा वह अपने आप में विकास के लिए बहुत अच्छा काम होगा। इससे यह फायदा होगा कि ग्राम स्तर पर चलाए जाने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, वे प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगे और उनकी उचित मॉनिटरिंग हो पाएगी, ग्राम स्तर पर वह पैसा पहुंच सकेगा। अभी तक यह पैसा यहां से राज्य सरकार को जाता है, राज्य सरकार से जिले में जाता है और जिले से पंचायत तक पहुंचता है। होता यह है कि भ्रट अधिकारीतंत्र और दलाल-बिचौलियों के कारण, जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व०राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहां से अगर एक रूपया भेजते हैं तो केवल 10 पैसा ही पंचायत तक पहुंचता है और 90 पैसा बीच में ही खा लिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री की अगर यह सोच रही हो तो मेरे ख्याल से यह बात काफी हद तक सत्य होगी। इस पर रोक लगाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। प्रतिर्वा के बजट में यहां 55 हजार से 60 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाते हैं। यह सत्य है कि हजारों-करोड़ों रूपए की धनराशि का दुरूपयोग होता है जिसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि ग्राम स्तर पर स्कूली शिक्षा पर, लड़कियों की शिक्षा पर, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोाण, विधवा एवं विकलांग पेंशन, शौचालयों के निर्माण तथा ग्राम स्तर के जो जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं, उनमें सुधार करने की बहुत सख्त जरूरत है। इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से कई सहूलियतें भी दी गयी हैं, आपने पेंशन को भी बढ़ाया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि धनराशियों को कुछ बढ़ाने की जरूरत है। यह बात सत्य है कि आज के महंगाई के दौर में एक परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था इतने पैसों में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए धनराशि को बढ़ाने की जरूरत है। यह भी सही है कि महिलाओं में जागरूकता आई है। आज गांव अगर कोई शराब की दुकान खुलने की बात आती है तो महिलाएं आज इतनी सशक्त और संगठित हैं कि वे उसका पुरजोर विरोध करती हैं। इससे एक तस्वीर यह उभर कर आई है कि पंचायतों में महिलाओं के बड़ी संख्या में निर्वाचित होकर आने से, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से एक क्रान्ति आई है, जिससे हमारे विकास के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि पंचायतों को संवैधानिक रूपए से जो वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए, वह हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। उ[H30]स ओर हमें विशेा ध्यान देना होगा। जब तक पं[R31]चायतों को वित्तीय अधिकार नहीं देंगे, तब तक पंचायतें मजबूत

नहीं होंगी, उनका विकास नहीं होगा और लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। जहां तक 72,000 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें करीब 39 हजार 73 करोड़ 18 लाख रुपए आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए और 3825 करोड़ 72 लाख रुपए पंचायती राज के लिए अलग से रखे हैं। इस रकम को और बढ़ाने की जरूरत है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि संसद की स्थाई समिति की भी रिपोर्ट में कहा गया है कि 39 वियों के लिए निर्धारित 72,000 करोड़ रुपए की धनराशि के सापेक्ष में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंत्रालय को देने का प्रावधान किया जाए। इस सिफारिश को मानकर अगर आप यह राशि बढ़ा दें तो उससे काफी सुविधा हो सकती है। ग्रामीण विकास के लिए प्रति र्वा करीब छः खरब रुपए खर्च होते हैं। यह रकम केन्द्र से चलकर जिला प्रशासन और अंत में पंचायतों के पास पहुंचती है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की हमारी कोशिश है। आपने जो परिकल्पना की है कि केन्द्र सरकार यहां से सीधे पंचायतों को पैसा दे, तो उसकी सीधी मानिटरिंग यहां से ग्रामीण स्तर पर होनी चाहिए। इससे काफी विकास हो सकता है। जहां तक बिचौलियों का दखल है, वह भी इस तरह से खत्म हो जाएगा। तब देश विकास करेगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा में जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उन पर पुरजोर बल देकर उन पर विचार किया जाए, जिससे देश विकास करे।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पंचायतों की स्थिति- मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन- 2006 संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही हैं। उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में पंचायती राज कायम करने में और इस पर पूरा ध्यान देने में र्वो से लापरवाही बरती गई। हमारे राट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी आर्थिक समृद्धि तभी होगी, जब गांवों की समृद्धि होगी और गांवों में समृद्धि के लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का सपना देखा था। बाद में भी डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने वही सपना देखा था। वह बराबर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात किया करते थे। आगे चलकर तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी ऐसा सपना देखा था कि असली भारत गांवों में बसता है। इन गांवों का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक असली भारत नहीं बन पाएगा। गांव जब तक समृद्ध नहीं होंगे, भारत समृद्ध नहीं होगा।

आजादी के बाद से देश में यह धारणा बनी कि हमें पंचायती राज कायम करना है। उसके लिए कई समितियां गठित की गईं। उन समितियों के प्रतिवेदनों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कानून भी बनाया गया। उसके बाद बीच-बीच में उसमें संशोधन भी किए गए। उन संशोधनों के बाद ऐसा लगा कि अब पंचायतों को सुदृढ़ किया जा सकेगा। 1988-1989 में उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि पंचायतों को सीधे अधिकार प्राप्त कराया जाए। उसके लिए एक कानून बनाया गया। उनका यह भी फैसला था कि जो भी राशि सरकार द्वारा आबंटित की जाती है, वह सीधे पंचायत को जाए। अभी जो धारणा है, यह काफी अव्यावहारिक है, क्योंकि जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, वे गांव के रहने वाले होते हैं। [R32]

महोदय, गावों के विकास का बुनियादी काम क्या हो सकता है, गांव के लोगों की कठिनाइयों को कौन समझ सकता है, इन्हें पंचायत के लोग नौकरशाह से ज्यादा समझ सकते हैं। कहीं कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, कोई आपातकालीन बात हो जाए, तो उसकी जानकारी इन्हें तत्क्षण हो जाती है और बाद में किसी पदाधिकारी या प्रशासन के उच्च अधिकारियों को पता चलती है।

मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की आधारशिला है। अगर यह व्यवस्था किसी देश की आधारशिला होगी तो वह देश खुशहाल होगा। किसी भी देश को मजबूत रखने के लिए इस व्यवस्था को अपनाना और लागू करके रखना आवश्यक है। बीच-बीच में पंचायत के लिए चुनाव भी कराए गए, लेकिन वे पूर्ण तरीके से, पूरे व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाए। कहीं मुखिया का चुनाव हुआ, तो सरपंच का चुनाव नहीं हुआ। कहीं मुखिया, सरपंच का चुनाव हुआ तो प्रमुख का चुनाव नहीं हो पाया। प्रमुख का चुनाव हुआ तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही। इसके पीछे शासन करने वालों की मंशा यही रही होगी कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण न करें। फिर हमारे पुरखों, चिंतकों ने और समाजवादी नेताओं ने जो सपना देखा था, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है?

आज भी हमारे पूर्ववक्ता श्री शैलेन्द्र जी बोल रहे थे कि पंचायतों को और अधिक धन दिया जाए। पंचायतों के बारे में कहा गया कि पंचायतों में सुशासन ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्वशासन भी जरूरी है। स्वशासन ज्यादा जरूरी है। इसके माध्यम से पंचायतों को शासन करने के लिए एक तंत्र प्राप्त हो। तंत्र में क्या होगा, इस बारे में भी कानून में प्रावधान बना दिए गए हैं कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का सरकार के कई विभागों पर नियंत्रण रहेगा और जो छोटे-मोटे मुकदमे होंगे, उन्हें सरपंच को हल करने का अधिकार होगा। लेकिन न आज पंचायत में कोई तंत्र विकसित किया गया है और न ही उन्हें किसी प्रकार के साधन मुहैया कराए गए हैं। फिर यह व्यवस्था कैसे देश के विकास के लिए अपना योगदान कर सकती है? पहले भी यह बात कही जाती रही है और हमारे प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। आज देश में पूरी तरह से पंचायत न्यायपालिका का गठन नहीं हो पाया है। जब पंचायती राज व्यवस्था का काम पूरा हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि गांव के जो छोटे-छोटे मामले मुकदमे होते हैं और थाने तथा कचहरियों में जाना पड़ता है और वकीलों को फीस देनी पड़ती हैं, इसके लिए आम आदमी को आने जाने में समय नट करने का कोई कारण न रहेगा और इन मुकदमों से जो आर्थिक नुकसान होता है, उससे बचाव हो जाएगा। हमारी सरकार की, हमारे पूर्वजों की इस व्यवस्था को लागू करने की जो मंशा थी, उस आधार पर पूरी तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन नहीं हुआ है। उस त्रिस्तरीय पंचायत को पूरे-पूरे साधन मुहैया होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव कराए गए, सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया गया, लेकिन वह किस काम का है। आपको भी पता होगा कि बिहार में राट्रीय जनता दल की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया था। चुनाव सम्पन्न हुए, उस समय ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने का अधिकार था। ये अधिकार अगर नौकरशाही को दे दिए जाएं, तो कैसे काम चलेगा?[MSOffice33] जब नौकरशाही को यह अधिकार दे दिया जाएगा, तो नौकरशाही अपने स्वार्थ या रिश्वत के लिए, जो गलत काम न करता हो, उसके विरुद्ध प्रतिवेदन देकर अपदस्त करने का काम करेगी। बिहार में चुनाव सम्पन्न हुए। श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अभी नियम बनाया कि सारे के सारे मामले एसडीओ. कलैक्टर, कमीश्नर देखेंगे और वे चाहें तो अभ्यस्त कर सकते हैं। उनको जो वित्तीय अधिकार दिया गया है, उसके बारे में मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। उनको कुछ भी वित्तीय अधिकार नहीं हैं। जो मुखिया हैं, जिला परिद अध्यक्ष हैं, उनको अधिकार था लेकिन आज उनसे वे अधिकार छीन लिए गए हैं। प्रमुख एवं मुखिया की जगह बीडीओ और जिला परिद की जगह डीएम को अधिकार दे दिए गए हैं।

आज हिन्दुस्तान के गांवों में काफी गरीबी है और काफी बुनियादी चीजों की कमी है। गांवों के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, सडक की आवश्यकता है, पीने के पानी की आवश्यकता है। इन तमाम चीजों के बारे में हमारे साथी मानवेन्द्र जी कह रहे थे। वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम गांव के रहने वाले हैं। गांवों में संध्या होते ही हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आखिर कैसे इनकी व्यवस्था होगी? केन्द्र सरकार राज्य सरकार को राशि देती है, राज्य सरकार कलैक्टर को देती है और कलैक्टर बीडीओ को भेजता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी राशि को खर्च नहीं की जाती है। मेरा सुझाव है कि सीधे राशि पंचायतों को भेजी जाए। केन्द्र जो राशि देता है, उसका सदुपयोग होता है या नहीं, उसे देखने और नियंत्रण करने के लिए अलग से तंत्र गठित किया जाए तभी पंचायती राज की कल्पना सही और स्वीकार्य होगी।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, on behalf of PMK, at the outset, I would like to appreciate and applaud the United Progressive Alliance Government, headed by world-renowned economist, Dr. Manmohan Singh, ably aided and assisted by Madam Sonia Gandhi, for a simple reason that this Government accords a place of primacy to panchayati raj institutions in this country. Believing in the dictum that the development of the people signifies the development of the nation, this Government has undertaken a large number of social measures which are designed to improve the levels of living in the rural and hinter lands of this country. As a testimony of this fact, it is this Government which for the first time in the history of this country has created a separate Ministry of Panchayati Raj. Having understood the problems, the cobwebs and challenges in which these panchayati raj institutions are caught, this Government felt that they should create a separate Ministry and it has done so. Not only that, it has found a committed person, it has identified a devoted person who could man this Ministry and there was no other better person than hon. Shri Mani Shankar Aiyar who was entrusted with this task of moulding, shaping and then developing the grass-root level institutions of panchayati raj. Therefore, I appreciate this Government for creating a Ministry of Panchayati Raj.

Secondly, I also express my deep sense of appreciation for hon. Minister of Panchayati Raj and his dedicated band of officials who have produced three voluminous documents which explain and exemplify the status of panchayats today.[s34] One must imagine the amount of hard work; the amount of imagination; and the amount of scholars or scholasticity, which has gone into the work for these three volumes of report.

I had the opportunity of going through these three volumes. The first volume contains nine chapters running into 126 pages, and it gives the preliminaries of Panchayats starting from the overview, and commencing with the comments of our Father of the nation. It gives the challenges up to the challenges. The second volume running into 438 pages gives the profiles of 24 States, and six Union Territories (UTs). The third volume runs into 993 pages, and it gives the Constitutional provisions relating to Panchayats; their Reports; letters; and speeches of former Prime Ministers and the present Prime Minister on the efficacy of the Panchayati Raj institution. I would rate that this as one of the first research reports that the UPA Government has brought in the last 2 ½ years. Any researcher -- whether he is a Phd. scholar or doing some research in an institute -- must heavily bank upon these volumes of data, which contains work on Panchayati Raj. Therefore, I must appreciate the Minister, and his dedicated team of officials, who have provided this document.

With this appreciation, let me take up the issue of my own State. I think the hon. Minister as well as the UPA Government should not take it otherwise. It is my duty to bring it to the notice of the Government at a time when we are discussing the status of Panchayats in India. The UT of Puducherry is a component of this country, and this UT did not have Panchayat elections for 38 years. It was only after 2004 -- when the matter was raised in this House by me as a Member of Parliament -- that the Minister of Panchayati Raj took it up seriously with the Government of Puducherry, and the elections were conducted there. Now, elections were conducted, and 1,338 local representatives are in place. Today, it is 141 days after the elections, but there is no devolution of functions, functionaries or funds that everybody talks about.

The hon. Prime Minister on 22nd of this month addressed the elected representatives of Panchayats at the Vigyan Bhawan. I was also present there. The speech of the Prime Minister was so scintillating as if honey and milk are going to flow onto the streets of India, and I thought that everything will go on. But unfortunately, in Puducherry, even after 141 days, the devolution of powers has not taken place. I am moving from pillar to post. I have gone to meet even the highest persons in this Government, but nothing has happened. If the status of Panchayats has to come to a certain level, then we should be able to bring all the Panchayats on an even footing.

I know that the hon. Minister is very keen that the devolution of powers takes place in the UT of Puducherry. He, his Secretary, his Joint Secretary, all of them came to the UT of Puducherry immediately after the elections; they met the people; and they witnessed how the people are very much enthused about creating Panchayati Raj institution in Puducherry. I understand that they have also entered into a MoU with the Government of Puducherry, but nothing has happened in spite of all these measures. Where should we go, if I am not to raise this issue in this august House?

I appeal to the hon. Minister to talk to the Chief Minister of Puducherry today itself without further loss of time. I am saying this because I would like to inform the hon. Minister that on 12th of this month the representatives of Panchayats are going to observe a *bandh*, and they have threatened to raise black flags in their houses. Should this happen to a UT -- when we have produced three volumes of report on the status of Panchayati Raj -- which did not have the benefit of Panchayati Raj elections for 38 years? This is one important point on which I want the hon. Minister to reply.

As regards other issues in general, I would only make a few suggestions to the hon. Minister, who is very keen to establish a sound system of Panchayati Raj system in the country. A review of these three reports tells me that all the Panchayats today are not on an even footing. We ourselves say that the Panchayats in Kerala are the best. This would mean that there are better Panchayats; there are good Panchayats; there are worse Panchayats; and there are worst Panchayats.[r35]

It is true that the Government has today articulated its will to give powers to the people democratically. Before 1992, before the 72nd and 73rd amendments could come, the whole country had only about five thousand representatives. Today we have 2,40,288 representatives throughout the country manning 32 lakh panchayats.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: In fact, it is the other way round.

PROF. M. RAMADASS : I am sorry. There are about 2.5 lakh Panchayats and about 32 lakh elected representatives. What is gratifying is that women constitute about 37.5 per cent of these representatives. At a time when we are asking for 33 per cent reservation to women in Indian Parliament, Panchayats have shown us the way by giving 37.5 reservation. At this rate, I hope that in the next ten years at least 50 per cent of the representatives in Panchayats will be women. That will be a creditable achievement for the UPA Government.

A social revolution is taking place. Although the share of SCs in the country's population is about 16 per cent, 19 per cent of the elected representatives in Panchayats are from SC communities and 12 per cent are from ST communities. What else can be a better testimony to the fact that there is a social revolution taking place. If Mahatma Gandhi had been alive today, if Rajiv Gandhi had been alive today, they would have been jumping with joy and jubilation that their dreams have come into reality in this country. It is due to the UPA Government under Madam Sonia Gandhi, Prime Minister Dr. Manmohan Singh, and hon. Minister Mr. Mani Shankar Aiyar that this greatest silent revolution is going on.

The first suggestion I wish to make is that you bring all the Panchayats on an even keel, to an even tempo. The Indian Constitution says that we should have a three-tier Government with the Central Government, the State Government and the Panchayats. Today the Indian Constitution talks about the Union List and the State List. I do not know – the Minister will correct me if I am wrong – where the local bodies list is. It is simply not there. Therefore, I would request the Government to kindly bring a Constitutional amendment to ensure that there is a local bodies list. The Government should bring Schedule 12 back to the local bodies list and make it a lawful provision for the Government so that everything goes automatically.

The third suggestion that I wish to make is about the participation of people. We have about 32 lakh representatives but how many of them actually participate with real interest is not known. Therefore, I would say that your programme of capacity-building should be extended to these people. They should be trained properly, they should be told what their functions are, what their role is and how they can actively participate in the deliberations of Panchayats. That also has to be taken up.

With regard to decentralization of planning, our aim is to give more and more powers to Panchayats for planning. Our experience in the last ten five-year plans has been that we have embarked upon the process of Central planning. Even for a village, Central planners thought that they knew the remedies and they knew the solutions and hence they have been planning. That is why we are now left with the legacy of poverty in the country even after so many years of planning.

15.59 hrs (Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

We have had ten five-year plans and we have had many annual plans. In spite of that what we find is that there is mounting incidence of poverty, there is unemployment growing at a galloping rate, and ignorance has not come down. Therefore, we find all these maladies because of our centralized planning system. People at the lower level should know what they require. If they want a streetlight, they should plan for it. If there is a water supply requirement, they should plan for it. Therefore, decentralized planning in reality is a must.

I would suggest that the 11th Five-Year Plan of the Government of India should be a summation of all the District Plans of the country. If there are 6,400 Districts in the country, the summation of all these 6,400 District Plans must be the Central Plan. There are, I know, inter-sectoral linkages. The Government will have to take an overall view about linkages between agriculture, industry, environment and all others. But more than those inter-sectoral linkages, the planners must listen, the planners must know that it is the grassroots' level planning which is emanating from the roots in the villages that must find a place of primacy in the Central Planning Commission.[r36]

-

-

16.00 hrs

Therefore, I would request the hon. Minister to take this issue.

Coming to the financial decentralization, most of the local bodies are haunted by paucity of funds. Although many State Governments are willing to give even 20 per cent of their tax revenue to the *Panchayats,* there are many States which are keeping these *Panchayats* in a condition of deserted finance or low finance. Therefore, we should take care of it.

As far as the Centre is concerned, I think that the Central Government is now sending the money of the Centrally-sponsored schemes to the *Panchayats* and additional Central assistance is also given to the *Panchayats.* The Arvind Committee, which has been constituted by the Government, said that it must be reduced from 207 to 25. I would say that there is also a recommendation of the Twelfth Finance Commission. So, all these things must be coordinated. All the funding from the Planning Commission or from the Finance Commission or from the Finance Department or from the Ministry of Panchayati Raj or from the Ministry of Rural Development must be consolidated and it must be channeled to the various *Panchayats.*

Then, the financial accountability must be insisted. Monitoring vigilance must also be taken care of. Most of the *Panchayats* just as they do not have money, they do not have staff; they do not have functionaries. Their functions are transferred but the functionaries are not transferred. Therefore, if these measures are taken care of, I would feel that the status of *Panchayats* would increase further.

Before I end, I would only like to quote what Jawaharlal Nehru, the architect of modern India and first Prime Minister of India had said at the time of Independence. After hoisting the flag at the Red fort, he came down. Someone asked him: What is the objective of Independence and why many of you sacrificed? He replied that the ambition is to wipe out every tear from every Indian eye. That may be beyond us but as long as there are tears, our work will not be over. I think, *Panchayati Raj* will be the surest solution for wiping out the tears of Indian in this country.

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विाय पर मुझे बोलने का मौका दिया और पंचायत राज मंत्री को मैं उनकी योग्यता और सोच के बारे में धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से पंचायतों के लिए समानान्तर प्रशासनिक सेवा शुरू करने का विचार बनाया है क्योंकि यह विचार समय की मांग है और पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग ने इस सुझाव पर सहमति दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है लेकिन आप देखेंगे कि आवश्यकता ही आविकार की जननी है। यानी किसी चीज की जब जरुरत हुई, तब उसके बारे में उसका इलाज सोचा गया और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका उद्देश्य बनाया गया।

पंचायतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंचायतों की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी ने जो सोच बनाई कि देश में स्वराज्य हो तो फिर ग्राम राज्य हो। ग्राम राज्य का सपना क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विामता इतनी ज्यादा है कि उसे समाप्त करने के लिए हम आदर्शवादी भााण भले करते रहें और हमारे योग्य माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन जब जड़ में पानी नहीं पड़ेगा तो ऊपर से पानी देने से फसल पैदा नहीं होती। पंचायती राज व्यवस्था में दुर्गुण क्या है? कारण क्या है कि गांव अमन, चैन, और सुख-शांति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि गांवों **में** बुराइयां पैदा हो रही हैं। इसके मूल कारणों को जब तक आप नहीं समझेंगे और उन्हें जब तक दूर करने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक सही समाधान नहीं हो सकता क्योंकि बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब बीमारी की डायग्नॉसिस सही हो। हमारे ग्रामीण पंचायतों की जो सोच महात्मा गांधी ने दी, वह किस जमाने की है? वह सोच किसी राज तंत्र के जमाने की नहीं थी। वह वैदिक काल की थी और वैदिक काल में किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी? वह आज की तरह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था नहीं थी बल्कि धर्म और धर्म के बाद जाति, जाति के बाद कुजाति, छूत और अछूत, ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। दुनिया में हिन्दुस्तान पहला ऐसा मुल्क है जहां हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था से भी सहमत नहीं है और जब तक इस मूल ढ़ांचे में परिवर्तन का हमारा उद्देश्य नहीं बनता तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते।[r37]

इसलिये, ग्राम पंचायतों के विकास के लिये धन जाना चाहिये, ग्राम पंचायतों के सभी क्षेत्रों में विकास करने और समृद्धि लाने के लिये जो संसाधन दिये जाने चाहिये, उसमें कहीं गड़बड़ी होती है। अर्थ सब से बड़ा कारण है क्योंकि जो सशक्त है, वह आपके और हमारे धन का अपहरण कर लेता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन जब तक सरकार अर्थतंत्र पर नियंत्रण नहीं करेगी, तब तक इस देश के अंदर सार्वजनिक सम्पति की लूट होती रहेगी और जिसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारी सरकारी मकानों में रहते हैं और अनुचित कमाई से दर्जनों मकान विभिन्न जिलों में बनाकर लाखों रुपये कमाते हैं। लेकिन गांव का जो गरीब आदमी दिनभर पैसा कमाने के लिए अपना पसीना बहाता है, धरती मां की सेवा करता है, उसके बच्चे की लाश के लिये एक चप्पा जमीन नहीं होती है। बड़े लोगों के पास लाखों बीघे जमीन है। जिस देश में अमीरी-गरीबी की खाई नहीं पटेगी, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। उस देश का सुधार भी नहीं हो सकता है। दलित वर्ग समाज का ऐसा अंग है जिसने ग्रामीण धरती पर अपना खून-पसीना बहाया, उस हाथ को काम नहीं और न पेट के लिये रोटी है। आज हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पंचायती राज में जितने भी सुधार लाये जा रहे हैं, अगर मंत्री महोदय देखना चाहें तो हमारे ख्याल से वे पूरे नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में ग्रामीण पंचायतों के विकास के लिये प्रतिर्वा 6 खरब रुपये दिये जाते हैं। उनमें से कितना खर्च होता है? हमारे देश के अलावा दुनिया के और देश भी हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। वहां गांवों की स्थिति क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हमारे यहां के गावों का विकास नहीं हो पाता जबकि वहां विकास हो रहा है। हमारी सरकार भी विकास कार्यों के लिये पैसा देती है और दुनिया के अन्य देशों में ग्रामों के विकास के लिये रूपया दिया जाता होगा। वहां के गांवों में समाज की क्या व्यवस्था है, आर्थिक-व्यवस्था क्या है, वहां गरीबी पाटने के क्या तरीके हैं और विकास का रास्ता क्या है, हमारे देश में विकास के रास्ते दूसरे हैं।

सभापति जी, गांव में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनमें आर्थिक विामता है, उसके कारण पंचायती राज कानून सब के लिये समान सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है कुछ लोग उससे अनुचित लाभ उठाते हैं और कुछ लोगों के झोले में कुछ नहीं पड़ता है।

सभापति जी, सरकार ने रोज़गार गारंटी योजना चलायी, जो बहुत अच्छी है। गांव में जिसके पास खाने के लिये कुछ नहीं है, उसे रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन उस पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है, क्या सरकार ने उस पैसे की समीक्षा कराई? इस पैसे की पूरी लूट हो रही है। अगर आपने राजनैतिक हस्तक्षेप से गांव में जिस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था के ध्वस्त करने या उसमें अपनी राजनीति स्थापित करने का जिस प्रकार का काम हो रहा है, उस तरीके की ग्राम पंचायत स्थापित करने का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। इसलिये आपसे गुज़ारिश है कि आप पंचायती राज व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये, जो लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है, लोकतंत्र की आधारशिला है, जिस बिना पर हम यहां बैठे हुये हैं, अगर इस बुनियाद को मज़बूत करना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को जितना निकलंक, सुदृढ़ बनाने के लिये सारी बुराइयों से उसे बचाने के लिये सरकार जो कुछ भी कर सकती है, वह कानून बनावे तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। इस कानून की आवश्यकता है।

सभापति जी, गांवों में पीने के लिये पानी नहीं है, बिजली नहीं, रास्ता नहीं, लोगों के हाथों को काम नहीं है, स्कूल नहीं और स्वास्थ्य सुविधायें नहीं हैं जिनकी बहुत जरूरत है। एक अजीब सी स्थिति गांवों में है। जो लोग दुनिया के दूसरे देशों को अन्न खिलाते हैं, उन लोगों के लिये पानी नहीं है। जो लोग शहरों में शराब बेचते हैं, उन लोगों को सरकार ने सारी सुविधायें दे रखी हैं।[s38]

जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले दूध पिलाया जाता है। जब आदमी मरने लगता है तो उसे दूध पिलाया जाता है। जो आदमी दूध रूपी अमृत बेचता है, उसको कुत्ते की नज़र से देखा जाता है और जो शहरों में बैठकर शराब बेचता है, उसे लखपति माना जाता है। जिस देश के अंदर अमृत बेचने वालों को कुत्ता-बिल्ली समझा जाएगा, देश के लाखों ऐसे लोगों को दलित समझा जाएगा और जिस देश में लूटने वालों को राजा माना जाएगा, उस देश में कभी पंचायती राज व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकती। वह जो विामता है, हमारे देश की, सरकार को उसको भी देखना चाहिए। उसी दृटिकोण से पंचायती राज में इंप्लीमैंटेशन का जो रास्ता बनाया गया है, जो सरकारी तंत्र बनाने की कोशिश की है, यह बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ केन्द्रीय सरकार का पैसा सीधे पंचायतों में जाना चाहिए। राज्य सरकारों में जगह जगह पर पक्ष और विपक्ष की पार्टियां सरकारों में हैं। वे अपने मतलब के लिए पंचायती राज व्यवस्था को दूति करते हैं। केन्द्र सरकार का पैसा सीधे पंचायतों को जाना चाहिए और उसके सही उपयोग के लिए कोई तंत्र बनाना चाहिए जिसके ज़रिये उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तभी सही मायनों में पंचायतों के विकास के ज़रिये ग्रामीण जनता में जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, उसके ज़रिये बेकारी से निजात दिलाई जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): At the very outset, I must thank the Chair for having taken up a very important subject for discussion. I think, it is for the first time that the hon. Minister has given a voluminous report as a Mid Term Appraisal or the Review of the Panchayati Raj. We had demanded to the UPA particularly the Mid Term Appraisal of the Common Minimum Programme and in that context the appraisal and review of different Departments. First of all, our Panchayati Raj Minister has come forward and has given us the Mid Term Appraisal of the Panchayati Raj Institution and I must thank him for this. I admire him as he is a very efficient, capable and dynamic Minister.

From Mahatma Gandhi to Shri Rajiv Gandhi, all the stalwarts, the national leaders, of our country said many things about the Panchayati system. It is said that India lives in the villages. So, democracy cannot be fulfilled without giving proper democracy to the villages. If democracy does not come to the grass root, India cannot fully develop its proper democracy.

Panchayati Raj is already mentioned in the State List but even then the Union Government, both the Houses of Parliament, enacted the Panchayati Raj Act and a new Ministry was set up on 27th May, 2004. Earlier it was handled by the Rural Development Department. So, it is our expectation that the administrative problems and other problems related to the panchayats would be settled and would be given proper emphasis in the present stage. I would like to speak about some specific areas with regard to the appraisal of the Panchayati System.[R39]

Firstly, let [MSOffice40]me speak about the Centrally sponsored schemes for panchayat development and training. It has been mentioned by earlier speakers here that about 30 lakh representatives of panchayats are there across the country. In many States, specially in my State of West Bengal, most of the representatives are coming from poor families and from families belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They are not trained at all. Most of them do not know how to run the panchayats and they are not equipped for that. More than that, I think, about 8 lakh key officials are engaged in panchayats. They are poorly trained. The point now is, how to train them. The Panchayat Raj Ministry is willing to do it and they are in a position to extend their help to train them and so far, as per the Report of the Standing Committee, only 6 lakh people could be provided training. So, a large number of them are left out. Training given is not sufficient for them. In our Constitution, a great responsibility is placed on the gram panchayats for different kinds of works like social work and other economic activities. It is not only that. There are several developmental and social sector schemes and programmes on health, education, nutrition and drinking water. Now schemes like NREGP have already come into existence and the panchayats are entrusted to discharge their duties properly in every scheme. So, enormous responsibilities are there. But only a limited number of people are trained to discharge their duties. In this condition, how shall we proceed as it is expected?

So, my first point is, training is the basic input and that input should be sufficiently provided with by the Union Government, namely, the Panchayat Raj Ministry. The Ministry for Rural Development is also there. But it is bifurcated now and they have allocated funds for schemes like NRID, SIRD ETC. and so on which cater to the panchayati raj institutions. What about those schemes? Even after bifurcation, proper coordination is needed so far as training is concerned. This sort of an appraisal should be there. We should know from the Ministry as regards coordination.

The second point is about devolution of power. Regular election of panchayats does not mean democratization as we desire. Devolution of power is the main thing. After the 73rd amendment of the Constitution, it has been identified in the Eleventh Schedule of the Constitution that 29 subjects should be transferred to the panchayati raj system. But the progress in this respect is very poor. How many States have so far done this devolution of power properly? Have they transferred these 29 subjects to the panchayat system? So, the progress is very poor and not sufficient. How is the Panchayat Raj Ministry looking into this aspect and helping the States so that devolution of power takes place properly within a time-bound programme? It is not that it will go on in an unlimited manner.

There should be a time-frame so that the devolution will be completed within the time bound programme.

Sir, funds have been allocated as Grants-in-Aid to augment the consolidated fund of the States. What about the matching contribution provided by the States in regard to the 10th Finance Commission? Since the enactment of the Panchayati Raj Act, we have got so many amendments from 9th Finance Commission to the 12th Finance Commission. I would like to know whether the State Governments have complied with all these or not. The 73rd amendment of the Constitution was enacted. But how far have they responded to that? … (*Interruptions*) Sir, I am concluding within two minutes. … (*Interruptions*)

Now, I come to the DPC. This is a very important area. It is to be constituted in every district to consolidate the plans properly by the panchayats. How many districts have come up? They have not formed the District Planning Committee. What about that? What is the attitude of the Planning Commission? In the meeting with the States, what instructions have been given by the Planning Commission in regard to that? … (*Interruptions*)

About partnership between panchayat and industry, as envisaged in the concept of establishment of rural business hubs, what is the progress about that? … (*Interruptions*)

Sir, now I am coming to a very important area in regard to the panchayati raj. The local self-government should be transformed into peoples' governance. Without land reforms that cannot be possible. So, to say anything about the development of the panchayats, without land reforms it means to say `Hemlet without the Prince of Denmark'. So, without land reforms, panchayati raj cannot be successful. This is being neglected. It is already there in the Common Minimum Programme. But now two and a half years have passed, but nothing has been said to that extent. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Panda, your one minute is over. You have taken 12 minutes.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, please give me one more minute. My last point is about awarding panchayats for excellence in various fields. It is a very good thing. But it is not coming in the mass media properly. So, proper emphasis should be there and proper publicity should be there.

Sir, with these few words, I conclude.

श्री जय प्रकाश (हिसार): सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, जब आप चेयर पर होते हैं, तो मुझे वैसे ही डर लगता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब आप बोलते हैं, तो किसी की नहीं सुनते हैं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होते समय एन.डी.ए. के सारे साथी बहिकार कर गए, यह अच्छी बात नहीं है। यह खेद का विाय है। इससे उनका जो रवैया है, उनकी जो मंशा है, वह देश की जनता के सामने आ गई है। एन.डी.ए. ग्रामीण-विरोधी और देहात-विरोधी रही है। उन्होंने इस बहस में हिस्सा न लेकर अपने आपको गांव विरोधी होना साबित कर दिया है। [r41]

मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीं, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा इस देश की जनता के सामने लाया है। मुझसे पहले कई साथी एक बात ठीक कह रहे थे कि महात्मा गांधी ने इस बात को माना कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, हिन्दुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। उसके बाद श्रीमान् राजीव गांधी ने पंचायती राज संशोधन विधेयक इस देश की लोक सभा में पास करके इस बात को प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही असली मानों में ग्रामीण लोगों की सुरक्षा का काम करती है, कांग्रेस पार्टी ही पंचायती राज को लागू करने में प्रयत्नशील रहती है और आज फिर एक बार यही प्रयत्न हो रहा है।

हमारे कई साथियों की ओर से चर्चा आई कि गांवों में पंचायत आयेगी। इस सम्बन्ध में मेरे 2-4 सुझाव हैं। मंत्री जी यहां बैठे हैं। पहली बात यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में जितनी पंचायतें हैं, उनमें पंचायत घर बनने बहुत जरूरी हैं। पंचायत घर होते नहीं हैं। सरपंच और उसके जो सदस्य हैं, वे कभी कहीं मीटिंग बुलाते हैं, कभी कहीं मीटिंग बुलाते हैं, इसलिए पूरे देश के हर गांव में एक पंचायत घर होना चाहिए। दूसरे आज पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था बहुत खराब है। केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उसमें मेरा पंचायती राज मंत्री जी को सुझाव है कि कई गांव ऐसे हैं, जैसे मैं हिसार से आता हूं, हिसार मेरा क्षेत्र है, उसके लिए एल.ए.डी.टी. की ग्राण्ट है, एस.जे.आर.वाई. की ग्राण्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लान की ग्राण्ट होती है। जैसे एल.ए.डी.टी. में नालियां बनानी हैं, नालियां तो आप बना देंगे, लेकिन उनके रख-रखाव के लिए हर गांव की सफाई के लिए, जैसे लोकल बॉडीज़ एक्ट में है कि शहर में स्वीपर्स रखे जाते हैं, इसी तरह से गांव में गलियों की, नालियों की सफाई की व्यवस्था के लिए भी, केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारों को या सीधे पंचायतों को धन देकर उसी तरह लोगों को परमानेंट एम्पलायमेंट देना चाहिए या पक्की नौकरी में स्वीपर्स वहां पर लगाये जाने चाहिए। सफाई कर्मचारी हर गांव में होने चाहिए। वरना आप पैसा देते रहिये, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो नालियां आपने बनाई हैं, सारी बन्द हो जाती हैं और नालियों का पानी, क्योंकि वहां सीवरेज सिस्टम नहीं है, गली में आ जाता है और गली में जो पैसा आप खर्च करते हैं, वह सारा बर्बाद हो जाता है, वह टूट जाती है, इसलिए गां वों में सफाई व्यवस्था का प्रबन्ध होना चाहिए।

एक तरफ आप कहते हैं कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन इसमें मेरा हाउस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जैसे शहरी विकास मंत्रालय है, ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय है। शहरों में अर्बन डैवलपमेंट एथारिटीज़ बनी हुई हैं। उसी तरह हिन्दुस्तान के गांवों के लिए भी रूरल डैवलपमेंट एथारिटीज़ बननी चाहिए और गांव के लोगों को भी वही सुख-सुविधाए मिलनी चाहिए। आप नई कालोनी गांव में बसाते हैं, इन्दिरा आवास योजना का पैसा आप मात्र 15 हजार रुपये देते हैं। 15 हजार रुपये में किसी गरीब आदमी का मकान बनाना, आज के इस महंगाई के युग में सम्भव नहीं हो सकता। उसके लिए यह पैसा पूरा नहीं है। मेरा पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि इन्दिरा आवास योजना की आपने जो योजना बनाई है, यह बहुत बढ़िया योजना है। इसमें पहले तो आप तादाद बढ़ाइये, वरना 6 महीने में एक गांव में दो मकान नहीं बनते तो गरीब व्यक्ति के लिए कहां से मकान की व्यवस्था होगी। इसमें ज्यादा लोगों के लिए मकान बनाने चाहिए और 15 हजार के बजाय 50 हजार रुपये, जिसे आप इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, उसे 50 हजार रुपये से कम नहीं मिलने चाहिए। आपने दिल्ली में बैठकर योजनाएं तो बना दीं, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही कहते हैं, लेकिन उन्हें असली गांव का नक्शा मालूम नहीं होता है। आपने यहां से तय कर दिया कि सुलभ शौचालय या व्यक्तिगत जो शौचालय बनते हैं, उनके लिए 1500 रुपये फिक्स हैं, 1500 रुपये में आज हरियाणा प्रदेश के गांव में आप जाओगे, आज मैं कहता हूं कि वहां का हरिजन पक्के मकान में रहता है, जो व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में हरिजन भाईयों के लिए की गई है और वे आर्थिक तौर पर भी मजबूत हैं, लेकिन उनके घरों में भी आप जाओगे तो वहां टायलेट बनाने की जगह नहीं है। आज 1500 रुपये में तो टायलेट का ढक्कन भी नहीं आता, कुई तक नहीं खुदती तो बाकी पैसा कहां से आयेगा? मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम हम यह नहीं मानते कि 1500 रुपये दे दो, वहां पर तो शौचालय बनाकर दो, चाहे उसमें कितना ही पैसा लगे। [R42]

आप सुलभ शौचालय बनाइए। ग्रामीण विकास मंत्री जी ने घोाणा भी की थी कि आप हिंदुस्तान के हर गांव में सुलभ शौचालय बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिस्टम में बणी, यानी जो शामलात की जमीन थी, वह दिन-प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। जंगल नहीं हैं, पंचायत की भूमि नहीं है, वहां शौच जाने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज तब इस देश में कायम होगा, जब गांव-गांव में सुलभ शौचालय या शौच का प्रबंध किया जाएगा। आज पीने के पानी का प्रबंध नहीं हैं। कहीं पीने का पानी है, तो कहीं नाली नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। ऐसी जो व्यवस्थायें हैं, इस संबंध में मेरा पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि गांवों के विकास के लिए अलग रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बनानी चाहिए, ताकि गांव के लोगों को भी वही सुख-सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें, जो शहरी भाइयों को दी जाती हैं। हम शहरी भाइयों के खिलाफ नहीं हैं। हम गांव के लोगों के पक्ष की चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि हम गांव में पैदा हुए हैं और गांव के रहने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज से लगभग छः महीन पहले एक योजना बनायी थी। मैं पंचायत मंत्री जी से कहूंगा कि इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए और उसकी सारी व्यवस्था का खर्च केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हमारे हरियाणा प्रदेश ने हर सरपंच को एक हजार रूपए जेब खर्च दिया है। मेरे से पहले एक सपा के साथी कह रहे थे कि सरपंच को जाना पड़ेगा, गांव में कोई झगड़ा है, पंचायती जमीन का दूसरा झगड़ा है, अदालतों में जाएंगे, लेकिन आपने उसके लिए कोई वित्तीय प्रबंध नहीं किया है, कोई टीएडीए नहीं है। इसके लिए एक हजार रूपए हरियाणा सरकार ने दिया है, हर मेंबर पंचायत को दो सौ रूपए दिए है। ...(व्यवधान) इसी तरीके से हमने जिला पार्िदों को दिए हैं, नंबरदार को और चौकीदार को दिए हैं, चौकीदार दलित समुदाय से संबंध रखता है। हमारी सरकार ने बारह सौ रूपए प्रतिमाह उसको दिए हैं। ऐसे वित्तीय प्रबंध पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में होने चाहिए, ताकि गांव के लोगों को यह पता चले कि हिंदुस्तान की जो यूपीए सरकार है, चाहे वह किसान, कर्मचारी, व्यापारी या मजदूर हैं, वह सब की सुध लेती है। गांवों की सुध भी इसे लेनी चाहिए। जैसे बुढ़ापा पेंशन में पचास प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और पचास प्रतिशत राज्य सरकार देती है, इसी प्रकार वित्तीय व्यवस्था में जो सरपंच की तनख्वाह है, मेंबर पंचायत, जिला पार्िद, ब्लाक समिति आदि में फोर्थ क्लास इंप्लाइज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करे और जो दूसरे भत्ते सरकार ने दिए हैं, वे पूरे देश में लागू किए जाएं। उसका आधा प्रबंध केंद्र सरकार करे और आधा प्रदेश सरकार करे, यह मेरा मंत्री जी को सुझाव है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल देश में लागू किया गया है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जब चर्चा के लिए खड़ी हुयीं, तो पूरा हिंदुस्तान उनको देख रहा था। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। हरियाणा में दो जिलों में यह लागू है। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें भी पंचायतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वे अपनी मनमर्जी से किस-किस को देते हैं, यानी ट्राली को उसमें शामिल नहीं किया, ऊंट, रेहड़ा को भी इसमें शामिल करना है। जो गांव के प्रतिनिधि हैं, इसमें उनको भी शामिल किया जाए, ताकि जब पैसे का बंटवारा हो, तो उनकी हिस्सेदारी हो। जैसे केंद्र सरकार मिड डे मील का पैसा देती है, गांव में भोजन बनता है, लेकिन उसके लिए भी पैसा कम है, उस योजना का पैसा बढ़ाया जाए और जो जन प्रतिनिधि, जो पंचायत स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, उसमें उनको शामिल किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज पूरा देश यह कहता है कि गांव की तरक्की हो, ये तीन-चार मंत्रालय अलग-अलग हैं, स्वास्थ्य विभाग अलग है, इस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, गांव में नर्स बच्चा पैदा कराने में सहायक होती है, उसे जो शहरों में भत्ता दिया जाता है, ऐसे ही गांवों में जो अधिकारी हैं, उनको भी भत्ता मिले।

MR. CHAIRMAN : Mr. Jaiprakash, there are nine other speakers who want to participate in this debate. So, please conclude now.

श्री जय प्रकाश : इसलिए पंचायती राज की जो व्यवस्था है, चाहे वह शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, चाहे रेवेन्यू का माल का प्रबंधन करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण पंचायतों का हो। [y43]

तब सम्पूर्ण पंचायती राज लागू होगा, वर्ना पंचायत के सरपंचों को आप पूछते नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर, जो एक अधिकारी है, सरपंच गांव का चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि है, उसको सस्पैंड कर देता है, टर्मीनेट कर देता है। मैं पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कानून को भी हटाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सरपंच को सस्पैंड नहीं करे, यदि गांव के लोग उसके खिलाफ हैं, तो वह सस्पैंड करे, वर्ना आज ऐसा है कि अगर मेरा कोई विरोधी सरपंच है, मैं जिला अधीक्षक से कहूंगा कि उन्हें सस्पैंड कर दें और वह सस्पैंड कर देगा। यह व्यवस्था गलत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपकी पंचायती राज में बहुत दिलचस्पी है। दूसरे विभागों से जो पैसा आता है, उसकी मौनीटरिंग करने के लिए, जैसे जिले में आपने सांसदों की कमेटी बनाई है, उसमें भी डीआरडीओ के लोग बहुत मनमानी की जाती है, कहते हैं कि एमपीज़ फैसला करेंगे लेकिन सारी ग्रांट वे खुद बांट देते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है। आप इस पर पूर्णरूप से नियंत्रण करें और यदि पूर्णरूप से पंचायती राज लागू करना है तो गांवों की पंचायतों का पूरा वित्तीय प्रबंध करें और उसे खर्च करने का अधिकार भी पंचायती राज संस्थाओं को हो न कि ब्यूरोक्रेट्स को।

SHRIMATI M.S.K. BHAVANI RAJENTHIRAN (RAMANATHAPURAM): Thank you Mr. Chairman Sir for giving me this opportunity to participate in the discussion regarding Panchayati Raj System.

We all know very well that the father of our nation, Mahatma Gandhi, has rightly mentioned that India lives in villages. The dream of the father of our nation, Mahatma Gandhi, is fulfilled through the Panchayati Raj System. So many leaders of our country struggled hard to develop the lives of the village people. At least, our former Prime Minister, hon. Shri Rajiv Gandhi attained this goal by introducing the Panchayati Raj System. In our Union Government, the able and most experienced hon. Minister, Shri Mani Shankar Aiyar, is in charge of this Ministry. We all know very well that he is working very well and very hard.

Anyway, our UPA Government is very famous for its Common Minimum Programme. So, our Union Government should give more attention to the Panchayati Raj Ministry because it is the most appreciable system as it fulfills all the basic needs of the people, especially, people living in the rural areas.

This is a three-level system, namely, Gram Panchayat, Union Panchayat and District Panchayat. Now, some lakhs of people, including women and people belonging to Scheduled Castes community, are elected through this Panchayati Raj System. I entered into politics through Panchayati Raj System only. Out of my experience, I have to give some suggestions because already so many hon. Members have elaborately dealt with the subject. So, I want to give only a few suggestions.

So many people, especially women, are very innocent and they do not know what to do with this Panchayati Raj System. We should give proper training to the elected representatives and also more financial assistance should be given. They should be given more powers also. When we are giving more financial assistance and more powers, there should a monitoring system also. Then only the Panchayati Raj System will be successful.

Sir, in the State of Tamil Nadu, our hon. Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi, is doing very well. I think, the State of Tamil Nadu stands in the first place in implementing the Panchayati Raj System schemes. He is doing very well. When he became the Chief Minister for the fourth time, he introduced "Namakkuname Thittam" and "Anna Marumalarchi Thittam." These are very famous schemes and through these schemes, he gave more powers and more money to the people elected at the village level. Now, the basic needs of those villages are fulfilled through these schemes. Now, he has ordered the District Collectors to convene a meeting at least once in six months to review the schemes in the Panchayati Raj System.[r44]

Now, I want to give a suggestion that MPs and MLAs should be given a chance to participate in the meeting, and their opinion also should be taken into consideration. Then only it will be a very successful scheme.

Now, our PURA Scheme is a famous one. It was introduced by the hon. President. In Tamil Nadu, Dr. Karunanidhi is fulfilling our President's dream because he is giving more power to the Panchayat Raji institutions, and all of them are doing very well. The hon. M.K. Stalin is the Minister in Tamil Nadu State Government, and he is working very hard to implement all the Schemes in the Panchayati Raj system.

I would once again like to say that Tamil Nadu stands in the first place in implementing the Panchayati Raj system through very hard work and proper schemes. I hope this will be introduced in all the States through the Union Government. The Union Government, of course, is giving more attention to the village people, and it will take more steps to give power and financial assistance to village elected bodies through panchayat raj system.

With these words, I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN : Vanakkam Thirumathi.

Now, Shrimati C.S. Sujatha.

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Mr. Chairman, Sir, at the outset I thank you for giving me a chance to speak on the very important subject, "The Mid-term review and appraisal" on the state of the Panchayats.

Sir, with the adoption of the Constitution Amendments 73^{rd} and 74^{th}, the country has decided to give our democracy a better and meaningful content and taking that democracy to the grass root level by providing one-third reservation to women at all levels. A silent majority has been made active participants in the development process and also in the democratization process.

I had the great opportunity of getting myself seriously involved in this historic process as the first elected District Panchayat President of Alappuzha District in Kerala.

When I participate in this debate of the mid-term review report, my opinions are largely shaped on the basis of my practical experience. I gathered through actively involving in the implementation programmes of Panchayat institutions. It was totally a new experience in putting the spirit of constitutional amendment into practice in the grass-roots.

I have pleasure to note that Kerala is now the acknowledged leader in Panchayati Raj. But it must not be forgotten how Kerala attained this position. The State showed a strong political commitment to transfer powers to its Panchayats and Municipalities. Even during the times of fiscal stress, the State took the bold decision to sacrifice funds at its control and generously transferred resources in the firm belief and hope that people and their grass-root level representatives can take wiser decisions on development priorities. Kerala's experience also proves that decentralization cannot be achieved just through the bureaucratic process. There is a need for massive mobilization of all sections of society to generate hope and enthusiasm. The People's Plan Campaign was launched with this objective.

It is not enough to applaud Kerala; it has to be supported to institutionalize decentralization. Also there must be earnest effort to learn from its best practices. Kerala which was the laboratory to experiment decentralization can now be the national classroom. The Government of India may utilize this opportunity.

The key feature of Kerala's decentralization are: Kerala followed the big bang approach in transferring functions, powers and resources at one go and developing capacity building through learning by doing. Probably this is the way decentralization can be made real.

Secondly, the State followed the classical principles of dencentralization in transferring clear-cut functions. Officials required to discharge the functions were also placed under the control of local governments on the principle of work and worker going together.[R45]

The hallmark of Kerala's decentralization is transfer of a huge amount of funds in a practically united form to enable the local Governments to prepare their plans according to local needs and priorities. During the current year, Rs. 2,200 crore have been set apart in three streams -- development fund, maintenance fund and general purpose fund.

The most innovative feature of Kerala's decentralization is the participatory planning. It goes to the credit of Kerala that the Planning Commission has more or less adopted this methodology for the Eleventh Five Year Plan.

Another important feature of Kerala's decentralization is the existence of strong independent institutions, the constitutionally mandated institutions like the State Election Commission, the State Finance Commission and the District Planning Committees; and the special institutions like the Ombudsman, Appellate Tribunal and even the State Development Council on the lines of the National Development Council. These institutions go a long way in ensuring the autonomy of Panchayats and raising them to the level of institutions of Local Self Government.

Gender justice has been given special importance in decentralized planning in Kerala. Ten per cent of the funds devolved to Local Governments have to be mandatorily spent on the Women Component Plan. Now, the Government has decided to enable each Panchayat to prepare a report on the status of women. Also Jagratha Samithies have been set up in the village panchayat to protect the interest of women. *Kudumbashree* now recognized as a national model has gone a long way in strengthening Panchayati Raj even while empowering women and reducing poverty. As of now, 37.25 lakh families have been brought under the *Kudumbashree* programme by networking 1.77 lakh neighbourhood groups of women below poverty line. Unlike other States, *Kudumbashree* has evolved as part of Panchayati Raj. Over two lakh micro enterprises have been set up with support of Panchayats.

The Government of India needs to support Kerala as it is a pioneer, and the whole nation stands to benefit from its initiatives. The important areas of support are as follows.

Capacity building of elected representatives and officials is a costly exercise. The State needs to be given generous assistance. Incidentally, the Kerala Institute of Local Administration is the best such institution in the whole country and is attracting trainees from Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, as well as from all the States in the country. The Government of India must invest in this institution and raise it to the level of an international institute for higher studies and research centre on local governance.

Kerala has recently taken a decision to further strengthen district planning committees by transferring the district level offices of the Planning, Statistics and Town Planning Departments. The Planning Commission could extend assistance to this critical initiative.

In order to institutionalize decentralization of a lot of actions, research is required in several areas. This could be supported through national level institutions of excellence like IIMs, IITs and other national level institutions.

Recognizing that Kerala has been unwavering in its fiscal decentralization in the last ten years in spite of severe adverse fiscal pressures, the State needs to be rewarded for discharging the constitutional obligation and developing a model for the whole country. This could be through additional Central assistance, preference allocation of externally supported projects, inclusion of more districts under NREGA and BRGF and weightage in allocation of Centrally-sponsored schemes in the domain of Panchayats.

Now that the Government of India has come out with a landmark document giving the detailed status of Panchayati Raj in the country, it is time that certain important policy decisions are taken at the national level to push decentralization.

The suggestions are as follows. BRGF should be utilized to strengthen decentralized planning particularly the District Planning Committees.

Major Centrally-sponsored schemes in the domain of Panchayats like the Rural Health Mission, Sarva Siksha Abhiyan, Mid-day Meal Programmes, ICDS, Swajaladhara, PMGSY, NWDPRA etc., should be restructured to facilitate common decentralized planning for all these schemes and their convergence.[r46]

The schemes of the Ministry of Panchayati Raj should be given more resources especially for capacity-building and providing incentives for performance. The Government of India should take the lead in identifying best practices in local governance from other countries and creating

a database which can be accessed by all the States.

The 150-point Action Plan prepared by the Ministry of Panchayati Raj is an excellent one. I see in it a 'Mani Shankar Aiyar' touch. It would be ideal if these are discussed in a special meeting of the National Development Council and an implementation plan prepared with milestones and timelines. I shall request the hon. Minister to personally take interest in putting it into practice.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति जी, आज सदन में पंचायतों की स्थिति - मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन - 2006 संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी के उस सपने को याद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ग्राम स्वराज को ही अल्टीमेट गोल मानकर इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया और देश ने आजादी हासिल की। उस ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की दिशा में 60 के दशक में देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने नागौर के अंदर एक विशाल जनसभा करके पंचायती राज की शुरूआत की थी। इस पंचायती राज के सपने में गांव के आम आदमी को सीधे सत्ता देने के लिए देश में प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से देश में सामाजिक क्रांति का दौर चालू किया, जिसमें गांव के आदमी को ही नहीं, बल्कि गांव के पिछड़े, दलित और कुचले हुए व्यक्ति को भी सत्ता में शामिल होने का अवसर मिला। इसके अलावा देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से अधिकार दिए गए।

धीरे-धीरे ये संस्थाएं मजबूत होने लगीं। हमारे आज के पंचायती राज मंत्री उस समय भी राजीव गांधी जी के साथ थे, जब संविधान में 73वां और 74वां संशोधन पारित हुआ। तब से लेकर आज तक पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं से वह जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में इतना वृहद काम करके तीन वाल्यूम्स निकाले हैं, वह किसी भी संसद सदस्य के लिए गर्व का विाय है। आज उनका पंचायती राज विभाग किस तरह से मुस्तैदी से इसका आकलन कर रहा है, किस तरह से पंचायती संस्थाओं का विकास हो रहा है, यह हम सब जानते हैं।

मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने दिल्ली में बैठकर ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न भागों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं का आकलन किया। आप राजस्थान में गत र्वा दिसम्बर में चूरू और जयपुर भी पधारे थे। वहां आपने पंचायत समितियों के बीच गांव के लोगों और पंचों के बीच बैठकर जमीनी हकीकत को देखा था।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपका जो सपना और सिद्धांत है कि फंड्स और फंक्शनरी पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया जाए और आपने जो वि-ाय चुने,जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन, फारेस्टेशन आदि, उनका ग्राम स्वराज से गहरा नाता है। आज गांव वाले खुद इन चीजों के मालिक हैं। राजस्थान में पिछली सरकार के समय मुख्य मंत्री, अशोक गेहलोत जी के समय यह काम कार्यान्वित हुआ था और बहुत सारे अधिकार जिला परिदों और पंचायत समितियों को दिए गए थे। पंचायती राज में प्रमुख प्राइमरी शिक्षा है, जो सारी की सारी उन्हें दे दी गई। उसके साथ ही एलिमेंट्री एजुकेशन भी लगभग पंचायतों को दे दी गई थी।[R47]

महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो सरकार राजस्थान में सत्ता में है, जिस प्रकार की सामंती सोच की वह सरकार है, वहां पंचायती राज संस्थाएं आज केवल एक ढांचा बन कर रह गई हैं। पंचायत राज संस्थाओं के पास अपने कोई अधिकार नहीं रह गए हैं। श्री गहलोत जी के समय में आपकी जो अपेक्षाएं थीं कि गांव का सरपंच, गांव का पटवारी, गांव पंचायत का सैक्रेटरी, गांव का टीचर, गांव का पैरा टीचर गांव के संरपच को हाजरी देगा, सरपंच को अपने काम की जानकारी देगा, वे सारे के सारे अधिकार आज छीन लिए गए हैं। आपके द्वारा दिए गए कागजों में मैंने पढ़ा और लिखा है कि शिक्षा विभाग और कई दूसरे कार्यों को करने का अधिकार सरपंचों को दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा, सैकेंडरी की तो बात छोड़िए, प्राइमरी शिक्षा भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। किसी गांव के अंदर बीस बच्चे हैं, वहां तीन टीचर हो सकते हैं, लेकिन किसी गांव में तीन सौ बच्चे हो सकते हैं और एक टीचर हो सकता है। इस बारे में सरपंच को कोई अधिकार नहीं है। अभी शिक्षकों की ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। ऊपर के स्तर पर सोचने वाला कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको राज्य सरकारों के साथ में और खास कर सामंती सोच रखने वाली राजस्थान सरकार के साथ मिल-बैठ कर पुनः आकलन करना पड़ेगा कि 73वें और 74वें संशोधन में देश की पंचायतों को जो अधिकार दिए, क्या उनका क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थान वह राज्य है, जहां आपने जो 29 फंक्शंस दिए हैं, उनमें से केवल एक-आध को ही कार्य रूप में लागू किया गया है। आपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर पैसा दिया, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी फोटो लगा कर स्वास्थ्य रथ निकाल दिया गया, पानी के लिए जल चेतना रथ निकाल दिया गया। वहां की जनता इस बात से त्रस्त है कि केंद्र सरकार की योजना का इतना पैसा जो सरपंचों के माध्यम से गांवों में लगना चाहिए, वह पैसा नौकरशाह माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए बड़ी-बड़ी रथ यात्राएं निकाल कर खर्च कर रहे हैं।

मैं सुझाव रूप में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिला परिदों और पंचायत समिति के जो प्रधान हैं, उनके चुनावों के बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप कहीं भी जा कर पूछ लीजिए, इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लीजिए, कोई भी प्रधान ईमानदारी और जनतांत्रिक पद्धति से वोट प्राप्त करके चुन कर नहीं आया है। वहां वोट खरीदा जाता है। जो सत्ताधारी लोग हैं, वे पंचायत समिति के सदस्य चुन कर आते हैं। पंचायत समिति के सदस्य की, जिला परिद के सदस्य की केवल यही भूमिका रहती है कि किसी तरीके से व्यक्ति विशेा को प्रधान बना दें। प्रमुख बनने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि अलवर जिले से मैं सांसद का चुनाव कम खर्चे में जीतकर आया हूं, लेकिन अलवर का जिला प्रमुख, मैं समझता हूं कि लगभग करोड़ रुपया खर्च करके जिला प्रमुख बना है। इसलिए हमें विचार करना होगा, हम मिड टर्म अप्रेजल कर रहे हैं, आपको सोचना होगा कि यदि हम पंचायत समिति के प्रधान का और जिला प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से कराएं तो मैं समझता हूं कि भ्रटाचार खत्म होगा। लोग कहते हैं कि इससे तो पहले वाली व्यवस्था, जिसमें गांवों के लोग, पंच या सरपंच ही गांव का प्रमुख चुनते थे, वही बेहतर थी। लेकिन आज जो डायरेक्टर्स वोट देते हैं, जिला परिद और पंचायत समिति के सदस्य वोट देते हैं, यह पैसों का चुनाव है, भ्रटाचार का चुनाव है। जब प्रधान और प्रमुख वोटर को लाख रुपया या दो लाख रुपया दे कर बनते हैं, तो वहीं से भ्रटाचार की शुरूआत होती है और कामों में दलाली चालू हो जाती है। जो पैसा आप गांवों के विकास के लिए भेजते हैं, उसका केवल 40 या 50 प्रतिशत पैसा ही गांवों के विकास के लिए खर्च हो पाता है।[MSOffice48]

17.00 hrs

उससे अधिक पैसा खर्च नहीं हो पाता है। आप इस मामले में गम्भीरता से विचार करें। ...(व्यवधान) पंचायत समिति और जिला परिद के मैम्बर्स की हैसियत बढ़ाने की बात होती है। जिस तरह आपने सांसदों के लिए कोटा फिक्स करके काम करवाने की हैसियत बढ़ायी है, ठीक इसी तरह कुछ पैसा खर्च करने का अधिकार पंचायत समिति और जिला परिद के मैम्बर्स को भी होना चाहिए। आज यह हो रहा है कि सरपंच के पास सीधे पैसा जाता है। गांवों में सरपंच बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और होना भी चाहिए। पंचायत समिति और जिला परिद के मैम्बर्स सिर्फ निर्वाचन तक सीमित रहते हैं। दो साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश चालू हो जाती है। मुश्किल से दो साल के लिए ही किसी ने प्रधानी या प्रमुखी की होगी। दो साल का पीरियड होने के बाद एक लहर दौड़नी शुरू हो जाती है और पैसों के जरिए खरीदारी शुरू हो जाती है तथा कहा जाता है कि दूसरा प्रधान और सरपंच बनाओ। मैं विशेा रूप से कहना चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। क्या प्रधान या प्रमुख का इलैक्शन डायरैक्ट करवा सकते हैं या नहीं? कहने को बहुत सी बातें थीं, क्योंकि बहुत लंबा-चौड़ा विाय है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह सदन में यह चर्चा लेकर आए।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मणिशंकर अय्यर जी को बधाई दूंगा कि वह ढ़ाई साल का एप्रेजल लोक सभा में लाए। सभी ने कहा है कि भारत गांवों में बसता है। महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था कि आजादी के बाद देश के गांवों में स्वराज लागू हो। वैसे सदियों से देश की यह परम्परा रही है और गांवों में पंचायतों का अपना अलग स्वावलम्बन है। हम 57 साल की आजादी के बाद आकलन करें कि 73वें-74वें संशोधन के बाद आज क्या वस्तु स्थिति है, क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जाए जिससे सही मायने में गांवों में स्वराज आ सके। अभी 12 लाख महिला सरपंच या सदस्य चुनी गई हैं। निःसंदेह यह बड़ी संख्या है और एक शुरुआत है। इसलिए शुरुआत है कि आरक्षण द्वारा दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को यह अधिकार मिला है। क्या यह सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं, यह देखना हमारा कर्तव्य है।

अभी राजस्थान के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज भी 72वें-73वें संशोधन के बाद बहुत सी कमियां हैं। मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जैसा उन्होंने बताया और मुझे भी यह समझ नहीं आती है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव 57 साल की आजादी के बाद भी जनता से करवाने के लिए आप क्यों तैयार नहीं हैं? कहा जाता है कि बहुत बड़ा चुनाव हो जाएगा। यदि आप सही जन प्रतिनिधि चाहते हैं तो इसमें बदलाव लाना होगा। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि ब्लॉक्स में माफिया लोगों का कब्जा हो जाता है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मालूम नहीं, वह इससे अवगत हैं या नहीं? माफिया लोगों का पैसा होना चाहिए और बंदूक की ताकत होनी चाहिए। कोई भी ब्लॉक प्रमख जीत जाएगा, कोई भी जिला पंचायत का अध्यक्ष जीत जाएगा। यह व्यवस्था क्यों लागू है जबकि आज तक आपने इतना सुधार किया है तब इसे क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनको क्या वे लोग लागू कर सकेंगे? एक बार बीडीसी का सदस्य ब्लॉक प्रमुख चुनता है और उसके बाद उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसे ि वकास कार्यों में हिस्सा नहीं मिलता, मुझे समझ में नहीं आता कि ग्राम प्रधान को बीडीसी के सदस्य के साथ क्यों रखते हैं? वह अधिकार बीडीसीसदस्य को मिलना चाहिए ग्राम प्रधान को नहीं मिलना चाहिए। उन्हें अलग से फंड मिलता है, उनका अधिकार क्षेत्र अलग है। क्या कभी आपने आकलन किया है कि बीडीसी के सदस्य ने वोट दे दिया फिर उसका काम खत्म हो जाता है उसके पांच साल बाद उसकी जरूरत पड़ेगी अगर वह दोबारा चुनकर आएगा। आप इस पर पुनर्विचार करें। इसी तरह से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के हाथ में पंचायतों का अधिकार केंद्रित हो गया है और बाकी मैम्बरों का कार्य क्षेत्र और अधिकार नगण्य हो गए हैं। अभी यूपीए सरकार डंका पीट रही है कि हमने रोजगार गारंटी स्कीम को लागू कर दिया। यह स्कीम क्या है? इस स्कीम में सौ दिन का काम गांव में हाथ से करने का दिया गया। क्या कभी आपने विचार किया कि मजदूर केवल मजदूरी करता रहेगा या उसे दूसरा कोई विकल्प भी मिलेगा?

मान्यवर, आप देखें कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। आप क्यों नहीं गांव में फैक्ट्री लगवाते, चाहे वहां छोटा कारखाना ही लगवाइए? आप एक तहसील में एक, दो या तीन कारखाने लगवाइए, कुछ तो कीजिए ताकि गांव के लोग गांव में ही रहें। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मोहम्मद युनूस को महिला सशक्तिकरण के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। यह इतनी अच्छी स्कीम है जिसमें गांव की गरीब महिलाओं का बीस-पच्चीस का छोटा ग्रुप बनाकर बैंकों द्वारा ऋण दिया गया जो आज वहां गरीबी को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है और इसलिए उनको नोबल पुरस्कार मिला है। हम इसे अपने देश में लागू क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं गरीब महिलाओं का ग्रुप बनाकर बैंकों द्वारा ऋण देकर उनका सशक्तिकरण कर सकते? हम क्यों नहीं दूध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी करके आगे बढ़ा सकते?

फिशरीज के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश ने नमूना पूरे देश के सामने पेश किया है। आज पूरे देश में आंध्र प्रदेश की मछलियां बिकती हैं। हमारे देश में बहुत मछुआरे हैं, जो अत्यंत गरीब हैं, उनके लिए आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाते? उनके लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बनवाते जिससे वे अपनी मछलियों को पकड़कर कर कोल्ड स्टोरेज कर सकें और इसके माध्यम से पूरे देश में भेज सकें। इससे उन्हें रोजगार और धन मिलेगा।

इसी तरह से एक तहसील में एक मिनी आईटीआई, मिनी पॉलिटेक्नीक खोल दें तो तमाम नौजवानों को गांवों में ही ट्रेनिंग मिल जाएगी और जो आज बड़े कलकारखाने आ रहे हैं, उनमें रोजगार मिल जाएगा। इसमें आप आरक्षण कर सकते हैं जिससे हर गरीब आदमी को उसका हक मिल जाएगा। लेकिन आप वह नहीं करेंगे, आपने कह दिया ग्रामीण रोजगार स्कीम लागू कर दी है और इसमें फावड़ा चलाओ। माननीय अय्यर जी, इससे गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आप गांवों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोजगार के अवसर गांवों में खोजने पड़ेंगे और खोलने पड़ेंगे। आज गांव में तमाम कारीगर हैं जो अपना सामान बनाते हैं, उनको वे कहां बेचें? उनके पास बेचने के लिए कोई बाजार नहीं है, वे अपना सामान नहीं बेच सकते इस तरह से धीरे-धीरे कारोबार खत्म होता जाता है।[r49]यदि आप उसे मजबूत कर दें।

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Your time is already over. You have already taken more than nine minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: But you cannot make any allegations. It is between the parties. It is none of my business.

… (*Interruptions*)

SHRI REWATI RAMAN SINGH : No. I am not making any allegations. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am not in any way getting into it.

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमन सिंह :बहुत-बहुत धन्यवाद। *... I have not made any allegation. *...

MR. CHAIRMAN: You see, this is the topic I am also interested. Do not find fault with me. I have not done anything wrong. You know, I was elected as Panchayat President 53 years back on adult franchise! Nobody is like me here with such a long record and so much experience in the field. I was elected as President of the Panchayat 54 years back. And I continued as President for a very long time because no election took place within that period. I continued as President of the Panchayat for more than a decade. Later on, Panchayat became Municipality. Do not find fault with me.

* Not recorded

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री, श्री मणिशंकर अय्यर जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ढाई र्वा का अपने विभाग का लेखा-जोखा आज सदन में प्रस्तुतकिया, जिसके ऊपर हम माननीय सदस्य विचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि सम्पूर्ण विपक्ष के लोग इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में नहीं है, जिसे राट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवनकाल में आरम्भ से ही ग्राम स्वराज, डा. लोहिया का चौखंभा राज, लोक नायक जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति इसी से जुड़े हुए सवाल है। महात्मा गांधी कहा कहते थे कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांव आगे नहीं बढ़ेंगे, गांव खुशहाल और सम्पन्न नहीं होंगे, देश सुखी और सम्पन्न नहीं

17.13 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

—

हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसी कारण से वह बराबर कहा करते थे कि गांवो में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करें, लोगों को शिक्षित और साक्षर बनाएं, सफाई रखें और स्वस्थ रहें, इस तरह से गांव का विकास संभव है ।

महोदय, हम बिहार राज्य से आते हैं। जब जननायक, कर्पूरी ठाकुर 1977 में बिहार के मुख्य मंत्री बने तो पहली बार उन्होंने बिहार में विधिवत पंचायतों के चुनाव कराये थे। उनके पंचायत चुनाव कराने के बाद 1982 में दूसरी सरकार आई, लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव का काम लगभग बंद हो गया। जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया तो राज्यों पर पंचायत चुनाव कराने का दबाव पड़ा। जब श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्य मंत्री थी, बिहार में पंचायत के चुनाव कराये गये और गांवों तो छूने वाले 33 विभाग, जिनमें प्राथमिक शिक्षा, प्र ााथमिक स्वास्थ्य, सहकारिता, पीने का पानी जैसे 33 विभागों का हस्तांतरण पंचायतों को किया गया। आज हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उस चुनाव के बाद वर्तमान सरकार ने इस समय चुनाव कराये हैं। पंचायत चुनाव कराने के अलावा इस सरकार ने 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने में महारत हासिल करने का काम किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और साधुवाद करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपने क्या काम दिया है। जो अधिकार उन्हें पहले से मिला हुआ था, उस पर भी पंचायतों के अधिकार नहीं रहे[MSOffice50]। हमारे यहां लोग मुखिया पति कहते हैं। मुखिया को लोग नहीं खोजते बल्कि मुखिया के पति को खोजते हैं, उसे मुखिया पति कहते हैं और उनसे जो काम हमें लेना चाहिए, यानी उसे काम, अधिकार मिला ही नहीं है तो काम क्या लेंगे । हम माननीय पंचायत मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछना चाहते हैं कि लोक सभा का जो चुनाव होता है, हम लोग चुनकर आते हैं तो क्या हमें माननीय प्रधान मंत्री जी का प्रिंसिपल सैक्रेटरी हटा देगा क्या? विधान सभा का चुनाव होता है तो क्या मुख्य मंत्री का प्रिंसिपल सैक्रेटरी चुने हुए विधायक को हटा देगा । मुखिया चुना जाता है, प्रमुख चुना जाता है, उसे हटाने का अधिकार किसी अधिकारी को देना यह सर्वथा संविधान के प्रतिकूल बात है। सरपंच गलती करता है, मुखिया गलती करता है या प्रमुख गलती करता है तो आपके पास कानून की शक्ति है और आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और जेल भेज सकते हैं। लेकिन जो संविधान में है, अब जैसे इंदिरा आवास का मकान बनाने का अधिकार उसे मिला है और अब वह अधिकार उससे छीना जा रहा है। हमारे साथी ने ठीक ही कहा है कि किसी को किसी से मतभेद होगा, हमें किसी से मतभेद होगा, हमारी इच्छा के खिलाफ वहां से मुखिया चुना जाएगा, सरपंच चुना जाएगा, प्रमुख चुना जाएगा। हम चाहे तो अपनी एप्लीकेशन उसके खिलाफ लिखकर दे देंगे। जांच बीडीओ से आप करवाएंगे और उसे कमिश्नर साहब डिसमिस कर देंगे। अगर एक तरीका होगा तो यह काम नहीं चलेगा। एक तो पंचायती राज का जो मॉडल कानून है, यह कानून सारे देश के सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। मुनासिब बात यही है कि एक तरह का कानून सारे देश में हो। कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। आज भी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से पंचायती राज का काम पूरा नहीं किया जा रहा है। आप ही का इस सदन में जवाब है।

अब सवाल है कि पैसे आप भेज रहे हैं और हम यह देख रहे हैं कि चाहे पंचायत समिति हो चाहे जिला परिाद हो, हम अन्यथा किसी दूर्भावना से नहीं कह रहे हैं, पैसे का बंटवारा हो रहा है, काम का बंटवारा नहीं हो रहा है। पैसा, जैसे बीस लाख रुपया भेजा। अगर जिला परिाद के बीस सदस्य हैं तो एक-एक लाख रुपया दे दिया और कह दिया कि आप अपने-अपने क्षेत्र में काम करिए। एक लाख रुपये में क्या काम होगा? विकास क्या होगा और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप पंचायत, प्रखंड और जिले की योजना समिति बनाएंगे, आप सभी स्तर पर मास्टर प्लान बनवाइए। जैसे-जैसे पैसा मिलता जाए, उस इलाके से उसका प्रतिनिधि खर्च तथा विकास का काम करे। अभी पैसे का बंटवारा हो रहा है और आप दो-चार जगह जांच करा दीजिएगा तो आपको इस बारे में अच्छी तरह से सब बातों की जानकारी मिल जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज राजकीय कोा को जो सुपुर्द करना था, जो पंचायतों को आपको राजकीय कोा देना है, आज तक नहीं मिला। पंचायतों की द्वितीय जबावदेही क्या है, आज तक कोई नहीं जान रहा है। आज तक पंचायतों के कार्य निपादन के लिए उनके प्रशिक्षण का काम नहीं हो पाया है। हमारे यहां पंचायती राज विधानों के साथ-साथ राज्य के लिए कानून का सामंजस्य क्या है, आपके पंचायती राज का कानून, आपके कानून का क्या तात्पर्य है, दोनों का सामंजस्य क्या है, यह नहीं हो पा रहा है और पंचायतों का अधिसूचित क्षेत्र तक विस्तार, अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। ये सारे काम हैं जिनके बारे में करने के लिए जबावदेही देनी चाहिए। लेकिन जवाबदेही नहीं दी गई है। बहुत जगह सरपंच को मुखिया कहते हैं। बिहार में हम लोग मुखिया कहते हैं और हमारे यहां न्याय प्रशासन है। न्याय प्रशासन का चुनाव हो गया और सिविल नेचर के केस को वे देखते हैं लेकिन उनका जो सब-लॉं, कानून बनना चाहिए, वह पटना हाइकोर्ट में अभी राज्य सरकार ने एक महीना पहले, वहां के सरपंचों ने मिलकर पटना हाइकोर्ट में अपना पीआईएल दायर किया और उसमें सरकार ने जबाव दिया जबकि अभी इसका कानून ही नहीं बना है[r51]। जैसा हमारे दूसरे साथियों ने कहा कि चाहे भारत सरकार फंडिंग करें या राज्य सरकार फंडिंग करे, पंचायत को स्टैंडिंग ऑर्डर देना चाहिये कि उसका अपना भवन होना चाहिये और न्याय प्रशासन के लिये स्थान होना चाहिये।

सभापति जी, स्वच्छता की बात कही गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार बिहार में बाढ़ के कारण 9 लाख लोगों के मकान गिर गये, उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। वे आज भी उसी गरीबी में बिना मकान के पड़े हुये हैं। अधिकतर लोग भूमिहीन, गरीब और दलित हैं जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में आंख मूंदकर पैसा जा रहा है जिसका उपयोग शिक्षक बहाली में हो रहा है लेकिन बिहार में वह भी नहीं हो रहा है। नियमानुसार जो पार्टिसिपेशन होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों को अनाज दिया जाना चाहिये लेकिन यह मुखिया के अधिकार से बाहर है। जब तक बैठकर एक ठोस कार्यक्रम नहीं बनेगा, आपका पंचायती राज का यह सपना अधूरा रह जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि नियम बनाकर पंचायत का चुनाव करायें जोकि समय पर होना चाहिये। हमारे कई साथियों ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है । इस चुनाव में भी भ्रटाचार होता है। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिस प्रकार पार्लियामेंट या असैम्बली के सदस्य का चुनाव होता है, उसका चुनाव भी उसी तरह से हो। मुखिया का भी चुनाव होता है। सरपंच जनता द्वारा चुना जाता है लेकिन प्रमुख प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जायेगा। मैं चाहूंगा कि जिला परिाद् के प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिये। वह शक्तिसाली होगा, जो पॉवर्स उसे देनी हैं, उसे दिलवाने का काम कीजिये। उसे मकान बनाने के लिये इंजीनियर्स चाहिये। हमारे एक साथी कह रहे थे कि केवल कुछ पैसे में एक शौचालय कैसे बनाया जा सकता है? जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, आज माताओं और बहनों को बाहर जाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। ये सारी चीजें तभी संभव है जब आप उसमें सक्रिय सहयोग करें।

सभापति जी, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री से सरकार बात करे। हम लोगों ने देखा है कि कागज ही पर आम सभा का कार्य हो जाता है। एक सासंद को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिये। पंचायत की आम सभा में एम.एल.ए. का प्रतिनिधि रहेगा लेकिन एक सांसद का नहीं होगा। हमारे यहां सम विकास योजना के लिये पैसा जाता है, सी एम. सेतु बन रहा है, सड़क बन रही है, उसमें एक एम.एल.ए. को पूछा जाता है लेकिन एम.पी. को नहीं पूछा जाता। हम भी तो जन-प्रतिनिधि हैं। हम भी तो नाम दे सकते हैं, हमारे नाम को मत मानिये लेकिन हम लोगों का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हम उस इलाके से चुनकर आते हैं। हम भी 6 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन हमें उसमें स्थान नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति एक ि वधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि है, उसे स्थान दिया जा रहा है। जब भी आप पुल या सड़क बनायें, हमें भी प्रतिनिधित्व दीजिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): The Hon. Panchayati Raj Minister, Shri Mani Shankar Aiyar, deserves to be praised lavishly as he has laboured hard to present a most well-researched document to the House and to the people of our country. It is a voluminous document which needs a couple of weeks to read through. It is not only voluminous but also exhaustive and illustrative.[R52]

However, I would like to participate in this important debate which is very relevant to our country. I must appreciate the UPA Government as this is the first ever Government which introduced the Ministry for Panchayati Raj to look after the panchayat institutions in our country.

Sir, panchayati raj is an age-old institution of our country. It is related to our culture, civilization and traditions. However, the British colonial power has demolished all the rural institutions which was earlier called as the panchayat. The term 'panchayat' originally implicates an enforcement authority of law and order in the local level community and which acts as a conciliatory and arbitrary approach to sort out the problems of the local community in India. During our national Independence struggle, the national leaders were contemplating over the reinstitution and revitalization of panchayat raj mechanism in India. In 1931, during the Karachi Congress, the Congress Party took a slew of measures to offer democratic governance at the grassroot level and they later had come to a fruition after various laws and amendments were introduced. In 1959, the district Nagaur in the State of Rajasthan first celebrated the Panchayati Raj Conference under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. But a real radical transformation in panchayati raj institutions took place after the 73rd and 74th amendments of our Constitution.

The real objective of the panchayati raj institutions is to devolve power to the grassroot level. The 73rd amendment was a landmark legislation in that direction which ushered an era of decentralized governance including its planning and development. It accommodates adequate representation of women and the marginalized section of our society which were excluded from the democratic governance by the dominant power of our society specially the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who were regarded as untouchables, and were excluded from taking part in any kind of democratic governance in our country. Therefore, the 73rd amendment first enshrined the rights of those marginalized and vulnerable sections of our society and furthermore, ensured participation of womenfolk which constitutes 49 per cent of our population in democratic governance of our country.

It is astonishing to note that more than 36 lakhs are elected representatives and are holding responsibilities in nagar palikas and panchayati raj institutions. The Minister even cited that the number of elected representatives in our country is more than the entire population of Norway.

The salient features of the 73rd amendment were formation of a Gram Sabha at village level. Uniform three-tier system at village, block and district levels, with exemption for intermediate level institutes with a population of less than two million. Direct election to all seats for all members at all levels. Indirect election to the Chairpersons of intermediary and apex levels. The mode of election for the lowest level is left to the State Government and reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on rotational basis in proportion to the population. Furthermore, the Chairperson of Gram Panchayat and Panchayat Samity are also reserved for women and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Reservation of women has been enshrined to be no less than one-third of the seats and offices. Five year term for each election has been institutionalized.

Sir, the devolution of powers and responsibilities by the State for preparation and implementation of plans for economic development and social justice as per the 11th Schedule of the Act has been very much incorporated. It has further been stated that 29 subjects are to be included in the 11th Schedule. But still, I think, that most of the States are either averse or indifferent to devolve the power of 29 subjects to the grass-root level. So, naturally, in paper, we have had our panchayat raj institution, but in letter and spirit we are miles to go before implementing the real essence of panchayati raj institutions.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to one important matter because I am hailing from a State called West Bengal. There, Village Development Committee has been framed under legislation by the State Government.

Sir, already in the 73rd amendment, Gram Sabha has been constituted. Furthermore, a Village Development Committee has been proposed to be legislated in the law. I think it is nothing but a super imposition of existing panchayati raj mechanism. As we know, the Gram Sabha is considered as a deliberative body. But here in this legislation, VDC has been empowered to propose the plans which are binding on the Gram Sabha and Panchyayats. That means here there is a contradiction between a deliberative body and the executive body. As we know, the Gram Panchayat is considered as an Executive Organ, but in the name of Village Development Committee, the power of Executive Body has been slashed down deliberately and I think it is contrary to the true sense of panchayati raj institution.

So, I would urge upon the hon. Minister to look after the true spirit of the Central legislation so that it may be binding upon the States because there are so many "may's" involved in the central legislation. Now, the State Governments are at liberty to misinterpret the Central legislation. The hon. Minister's approach in regard to the panchayati raj institution would not be materialized if these flaws are not corrected. I think, we should have a holistic approach to the panchayati raj mechanism.

*DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, today, in this august House, we are having a very important discussion initiated by Shri Basudeb Acharia and Smt. C.S. Sujatha regarding the 'Mid-term Review and Appraisal Report 2006 on Panchayati Raj'. Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to take part in this discussion. At the outset, I would like to sincerely appreciate the Hon'ble Minister of Panchayati Raj Shri Mani Shankar for presenting a detailed report on the structure and functioning of the Panchayati Raj institutions in the country and also for facilitating this discussion. This report certainly reflects the progress made in the Panchayati Raj system under the UPA

Government in the last two and half years. Under the able leadership of Prime Minister Shri Manmohan Singh, UPA Chairperson Madame Sonia Gandhi and Panchayati Raj Minister Shri Mani Shankar, the Panchayati Raj movement in the country is making steady growth and progress.

Hon'ble Minister Shri Mani Shankar is a close friend of our late lamented former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi who intended to strengthen the Panchayati Raj system in the country by devolution of power at the village level. Accordingly, constitution amendments were made in order to strengthen the Panchayati Raj system.

Sir, India is a land of villages and our Father of the Nation Mahatma Gandhi believed that India will develop only when its villages are developed. The 73^{rd} and 74^{th} amendments have given more powers to our local bodies and Village Panchayats. Not only that we have made 33% reservation for women in the local bodies and Panchayats but we have also ensured more participation of women in the decision making at the local and village level which indeed strengthen our democracy.

---

* English translation of the speech originally delivered in Manipuri.

Today, we are a great democracy even though we had experienced too much hardship under Rajas, Maharajas and British Raj. Now, it is more than 50 years to have our own elected representatives and elected Government and, in fact,

we are doing extremely well. However, we have a major handicap in the election of local representatives at the village and Panchayat level because of lack of basic education. Educated people are still very less in number. We need to broaden and strengthen our education system at the grass-root level so that we get deserving and educated representatives.

At the Village and Gram Panchayat level, Pradhans are directly elected and it is really good. The Adhyaksha at the Zilla Parishad is elected from among the elected representatives. Here, we have a practical difficulty due to frequent no-confidence motion against the Adhyaksha. As a result, Adhyaksha is changed every now and then and hence it has become a major set back to run the affairs of the administration. If we can have direct election for the Adhyaksha like that of Pradhan that would be far better and bring stability in the system.

Women's reservation in our local bodies and Panchayats is no doubt yielding favourable results. But we have a pertinent problem at the ground level. The family members of the elected women representatives normally interfere in the functioning of the local bodies. The husband or the family members of the women representatives wield de-facto power. This is a dangerous trend. We need to check it. Power and functions of the women representatives should not be misused or abused by their family members. We have to do something in this regard.

I would like to bring to the notice of the Hon'ble Minister that our Pradhans and local elected representatives are getting a very meagre honorarium. My earnest request to the Minister is that they must be given a respectable salary as in the case of MPs and MLAs. This will certainly help in strengthening our Panchayati Raj system.

Sir, ours is a vibrant multi-party democracy and, therefore, we should encourage to conduct the elections of Pradhans, Zilla Adhyakshas on party lines. This is my suggestion.

From this detailed report presented by the Hon'ble Minister, we come to know about the structure and functioning of the Panchayati Raj institutions in the States throughout the country. Sir, in my State Manipur we don't have the three tier system, instead we have the two tier system. According to the 2001 census, we have crossed twenty lakh population and now we are entitled to have the three tier system. In his recent visit to Manipur, the Hon'ble Minister Shri Mani Shankar made the announcement that the two tier system will be converted into the three tier system. I strongly believe that Hon'ble Minister will certainly fulfil his assurance. On my own behalf and on behalf of my State I express my gratitude to the Hon'ble Minister for his kind visit to our State and for having constructive interactions with our Panchayati and village representatives for improving the Panchayati Raj institutions. I hope in future too Hon'ble Minister would extend such cooperation and encourage us.

Sir, such an elaborate mid-term review and appraisal report on the functioning of Panchayati Raj system in the entire country is indeed praiseworthy. Let me again thank you for giving this opportunity to participate in this discussion.

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुतमहत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है।

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। आपका समय 5 मिनट है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं तुरन्त अपनी बात बताऊंगा।मगर साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बसुदेव आचार्य जी का, कि जिन्होंने चर्चा का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, जिसमें हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। पंचायती राज, जिस पर लगातार कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, इसके सन्दर्भ में आज विशे गहरी रुचि लेकर माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कमिटमेंट के साथ हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की जो सोच हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की थी, जो सोच हमारे राजीव जी की थी, उस सोच को पंचायती राज के माध्यम से सरजमीं पर लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रयास भी इसके लिए किये जा रहे हैं।

इसके लिए प्रयास हुए हैं, मगर मैं समझता हूं कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी, पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग था, लेकिन जब यह एहसास किया गया, जब शक्ति प्रदान की गई और संविधान में एक नया संशोधन कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह विभाग भी अलग हुआ। विभाग इसलिए अलग हुआ, क्योंकि कारगर ढंग से ि वशे तौर पर जो पंचायती राज की जो हमारे नेताओं का सपना है, वह सपना पंचायती राज के माध्यम से गांव और गरीब तक पहुंचे, लेकिन मैं समझता हूं कि वे कारगर कदम इतने सालों के प्रयास के बाद भी निचले स्तर पर नहीं उठाये जा रहे हैं, जिसकी वजह से पंचायती राज की जो परिकल्पना सरजमीं पर आये और गांव के गरीब और गांव के जो आम लोग हैं, उनको उसका फायदा पहुंचे।

इसमें कई तरह की खामियों की चर्चा की गई। मैं भी कुछ खामियों की चर्चा करूंगा और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृट करूंगा ताकि उन खामियों को दूर करके पंचायती राज की जो परिकल्पना यू.पी.ए. सरकार में है और आपकी है, उसमें आप कारगर कदम उठाकर उस तक पहुंचाने का काम करें। यू.पी.ए. सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उसमें पंचायती राज विकास के लिए अलग से 3835 सौ करोड़ रुपये के लगभग राशि आबंटित की गई है, लेकिन इतनी सारी राशि आबंटित करने के बाद भी जब हम सरजमीं पर देखते हैं तो स्थिति कुछ स्पट नहीं हो पाती है। आज भी आप गांव के गरीब आदमी के यहां चले जाइये, आज भी जबकि बहुत बड़े पैमाने पर इतनी राशि देने के बावजूद भी विकास से वे लोग वंचित हैं।[R53] मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई तरह की कमियां हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें अधिकारी पावर्स को तिकड़मित कर लेते हैं या जो व्यवस्था है, जो चुने हुए पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी कमियां की जाती हैं। आम लोग, जिनको लाभ पहुंचाना है, वह उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए सही ढंग से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। नियम कानून बन जाए और नियम कानून सरजमीं पर नहीं आए और सिर्फ कागजों तक रहे, तो मैं समझता हूं कि सही मायने में जो सपना है वह साकार नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से नि वेदन करूंगा कि उन सपनों को साकार कीजिए, जो गांधी जी ने देखा था, जो राजीव गांधी जी ने देखा था और उसके तहत संविधान व्यापक संशोधन हुआ था। आज बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहे हैं। मैं अपने राज्य की भी बात करूंगा, मगर उन चुनाव का कई माननीय सदस्यों ने जो बिहार से हैं, चर्चा करने का काम किया और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आप एक नीति निर्देशित करने का काम करें। जो कानून आपने बनाया है, उसे राज्य सरकार सही ढंग से पालन करे, उस पर नियंत्रण करने का काम करिए। किसी राज्य में कुछ कानून और किसी राज्य में कुछ कानून है। जो चुने हुए पंचायत के मुखिया या सरपंच हैं, वे आम सभा नहीं करते हैं। आम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन करना है। मैं समझता हूं कि आम सभा नहीं होती है, सिर्फ कागज पर हो जाती है। ये बहुत सारी कमियां हैं। यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने इन खामियों की चर्चा की है। इन कमियों को दूर करने का आप काम करिए। मैं समझता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, हमारी आबादी के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक लोग गांवों पर निर्भर करते हैं। गांवों के लिए हर पालिटिकल पार्टी के लोग और हर व्यक्ति जो समाज सेवा कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वह इस कमिटमेंट के साथ गया है कि हम गावों का विकास करेंगे, पर मैं समझता हूं कि इस मामले में सिर्फ बोलने की बात होती है, काम करने की बात जब आती है, तब हम पीछे रह जाते हैं। आजादी के अठ्ठावन साल के बाद भी गांवों का विकास नहीं हो रहा है। गांव में सड़कें नहीं हैं, गांवों में चापाकल नहीं हैं, गांव में शौंच की व्यवस्था नहीं है, गलियों में व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ठोस कारगर कदम उठाएं, एक सख्त कानून बनाएं और इस कानून का पालन करायें। पंचायती राज के माध्यम से गांव स्वराज की बात जैसा कि गांधी जी ने कही थी, गांव का स्वराज जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि पंचायती राज व्यवस्था को सरजमीं पर उतारने का काम नहीं करेंगे। विकास की धारा आगे नहीं बह पायेगी। यही पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आप गांव के गरीब लोगों को न्याय भी दिलवा सकते हैं। गांवों के गरीब लोगों को और गांवों के विकास के लिए भी आप पूरी तौर पर भूमिका अदा करके, गांव और देश का विकास कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देश के ि वकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। गांव के लोग जब तक दुखी रहेंगे, गांवों में अशिक्षा रहेगी, गांवों के माध्यम से आपने पंचायती राज की व्यवस्था की है, टीचरों को आपने नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। कई गांवों में स्कूलों में टीचर नहीं आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर वहां टीचर गायब हैं। आपने वहां के मुखिया को रिपोर्ट करने की जो शक्ति प्रदत्त की है, वहां वह मुखिया रिपोर्ट करता है, पर कोई कार्यवाही नहीं होती। आप पूरे तौर पर उसको शक्ति दीजिए और पंचायतों को अधिकार दीजिए। आपने स्वास्थ्य सेवा, पानी, चापाकल की भी व्य वस्था पंचायती राज में की है। करीब एक सौ पचास ऐसे बिंदु हैं। पिछले दिनों आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से आपने मंत्रियों का सम्मेलन कराया था और उसमें आपने डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में एक सौ पचास बिंदुओं को टच करने का आपने काम किया। अगर इन बिंदुओं को आप सही रूप से सरजमीं पर उतार देंगे और छोटी-छोटी समस्याओं का निदान का अधिकार भी पंचायती राज को है तो मैं समझता हूं कि सही मायने में आप गांव स्वराज की जो कल्पना गांधी जी ने देखी थी, राजीव गांधी जी ने देखी थी, वह स्वराज आ पाएगा। मैं समझता हूं कि आगे गांव की तरक्की होगी।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। इस विश्वास के के साथ कि माननीय मंत्री जी इस चर्चा के बाद निश्चित तौर पर एक ठोस कदम उठाएंगे और ठोस प्रयास करेंगे, ताकि गांवों की जो पचहत्तर प्रतिशत आबादी है, वह खुशहाल हो सके और उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। [v54]

श्री बापू हरी चौरे (धुले) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राजीव जी इस सदन में इस विय पर बहुत चिन्तित रहते थे कि केन्द्र की तरफ से ग्रामीण विकास के लिए जो फंड दिया जाता है, उसका सिर्फ 15 प्रतिशत फंड ही वहां तक पहुंच पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए और महात्मा गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए राजीव जी की जो सोच थी, उसे पूरा करने के लिए संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायती राज विधेयक को दुरुस्त किया गया। उसमें जो सुधार किए गए हैं, वेबहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में, 1992 से जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से गांवों के विकास के लिए सही मायने में पैसे दिए गए। पहले गांवों के लोगों को दीया-बत्ती के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे, मगर इस योजना के माध्यम से गांवों के विकास के छोटे-छोटे कामों के लिए भी पैसे दिए जाने लगे। बाद में ग्राम सभा के माध्यम से गांवों के मुखिया को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए। आज गांवों के सब प्लान ग्राम सभा के माध्यम से निपादित किए जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा कहना है कि सरकार के 33 विभागों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उनके जरिए इम्प्लीमैंटेशन का काम ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभा में विचार-विमर्श करके किया जाता है और पूरा किया जाता है। मगर ट्राइबल सब-प्लान का जो एरिया है, उसके लिए मैं सरकार का आभार मानता हूं। उसके लिए Panchayat (Extension to the Scheduled Area) Act, 1996 बनाया गया। उसमें आदिवासियों को विशे तौर पर अधिकार दिए गए - चाहे जिला परिाद हो, पंचायत समिति हो या गांव पंचायत हो, पंचायती राज विधेयक त्रिस्तरीय इम्प्लीमैंट होता है - जिला पंचायत, ताल्लुका पंचायत और गांव पंचायत। गांव पंचायतों के अंतर्गत ट्राइबल सब-प्लान के एरिया में जो विलेज आते हैं, वहां की ग्राम पंचायत का सरपंच चाहे कोई भी हो, उसे विशे अधिकार दिए गए हैं कि चेयरपर्सन शैडयूल्ड ट्राइब्स का ही हो। उसे सब प्लान बनाने के अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह चिन्ता की बात है कि ट्राइबल सब-प्लान के अंदर ट्राइबल्स के विकास के लिए केन्द्र सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। उसकी तरफ से धारा 275(1) के तहत कुछ फंड स्पैशल सैंट्रल असिस्टैंस के माध्यम से राज्यों को दिया जाता है। धारा 275(1) ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से कुछ फंड District Planning Development Council (DPDC) को दिया जाता है। उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्लान हैं, ट्राइबल एरिया में हरेक हैड्स ऑफ डिपार्टमैंट को वह पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका इम्प्लीमैंटेशन गांवों के स्तर पर किया जाता है। जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमैंट स्टेट लैवल पर है, हमारे महाराट्र में ट्राइबल डैवलपमैंट डिपार्टमैंट की तरफ से मानव विकास के लिए व्यक्तिगत लाभ के तौर पर, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि for Adivasi agriculturists, hundred per cent subsidy to purchase electric pump sets, oil engines and so on. ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो सौ प्रतिशत सबसिडी से ट्राइबल सब-प्लान में से दी जाती हैं, इंदिरा आवास में पैसे दिए जाते हैं। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमैंट की तरफ से

गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, घर दिए जाते हैं, ऐसे 37 आइटम्स हैं जो ट्राईबल अफेयर्स डिपार्टमैंट की तरफ से इनडिवीजुअल व्यक्ति के विकास के स्तर को ऊपर लाने के लिए दिए जाते हैं। [MSOffice55] मगर ये सभी स्कीमें ठीक ढंग से इम्प्लीमैंट होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां जो नैशनल शैड्यूल ट्राइब्स डेवलपमैंट फाइनेंस कार्पोरेशन है, उसकी तरफ से लोगों को ट्रक टैम्पो, आटो दिये जाते हैं। ऐसे जो इंडीविजुअल बेनीफिशरीज हैं, उनका चुनाव आफिसर्स करते हैं। ये सब चिंता करने की बात है। उन आफिसर्स को क्या मालूम है कि सही मायने में किस गरीब आदमी को लाभ मिला है?

महाराट्र में ट्राइबल्स अफेयर्स डिपार्टमैंट, सभी ट्राइबल एडीशनल कमीशनर प्रौजेक्ट आफिसर्स एंड लिटीगेटिव ट्राइबल डेवलपमैंट प्रौजेक्ट आदि ये सभी लोग लाभार्थियों की लिस्ट चुनते हैं। पहले पंचायत एक्सटेंशन टू दी शैड्यूल एरिया एक्ट 1996 बना जिसमें ग्राम सभा को लाभार्थियों को चुनने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया था। मैं आपसे विनती करता हूं कि यहां से आदेश हो, कि वहां पर ट्राइबल डेवलपमैंट डिपार्टमैंट की जितनी भी स्कीम्स इम्प्लीमैंट होती हैं, उनके लाभार्थियों की लिस्ट ग्राम सभा और पंचायत समिति के माध्यम से ट्राइबल डिपार्टमैंट को जाये और वहां से फंड्स का आवंटन किया जाये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप कन्कलूड कीजिए।

श्री बापू हरी चौरे : सभापति महोदय, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आपने मुझे बैठने का इशारा किया है। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इम्प्लायमैंट गारंटी बिल के माध्यम से जिन गरीब मजदूरों को काम देने के लिए पैसा दिया जाता है, उसका 50 टका पैसा ग्राम पंचायत को दिया जाता है। मेरे जिले में यहां से 28 करोड़ रुपये दिये गये हैं जिसमें से 14 करोड़ रुपये डायरेक्ट ग्राम पंचायत को गये। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज भी बिचौलिये वहां काम करते हैं। अब बीच में बिचौलिये न आये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के अन्तर्गत जिला परिद की तरफ से जो भी स्कीमें इम्प्लीमैंट की जाती हैं, उसमें अनाज भी शामिल है। मेरे जिले में दो साल से अभी तक अनाज नहीं दिया गया है। वहां अनाज देना बाकी है। इस परिस्थिति में वहां के बारे में भी विचार करना चाहिए। इम्प्लायमैंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत जिन प्रखंडों को फंड्स दिये जाते हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि हरेक गांव में पेयजल मुहैया कराने कि लिए एक समिति नियुक्त की गयी है। गांव में पेयजल की जो योजना बनायी जाती है, उसमें समिति के चेयरमैन, सेक्रेटरी होते हैं। उनके द्वारा वह स्कीम बनायी जाती है। मगर मुझे देखने में यह आया है कि सही मायने में पंचायतों को पैसा एलाट किया जाता है, लेकिन वहां बिचौलिये काम करते हैं। बिचौलियों का काम करने का सिलसिला आज भी जारी है। इस बारे में राजीव जी ने चिन्ता व्यक्त की थी। इन बिचौलियों को हटाने के लिए पंचायत राज विधेयक में प्रावधान किया गया है। लेकिन आज भी वहां से बिचौलिये हटे नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वह इस बारे में विचार करके कोई व्यवस्था करे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I never expected to speak. Since I am called to speak on the subject, I am thankful to you.

Panchayat formation is more or less the formation of my public life. I was elected as the Panchayat President in 1953. I assumed charge after I was elected as the President of the Panchayat on adult franchise on 15th August, 1953. At that time, Kerala State was not there. Kerala State was formed afterwards. I continued as the Panchayat President. I had appeared before so many Commissions with regard to the development of the Panchayati Raj institutions in this country. Now, the first Commission before which I appeared was before Shri R.K. Sidwa, who was appointed as the Chairman of a local Finance Committee. I appeared before him as the President and also representing the Panchayat in Travancore Cochin State. Then, subsequently Dr. John Mathai was appointed as the Chairman of the Local Finance Inquiry Commission. There also I had appeared and gave evidence.[R56]

18.00 hrs

The most important thing regarding the development of Panchayati Raj in the country is to give a separate or assign a part of income or interest with each and every Panchayat.

Now, the first suggestion was that the Central Government should uphold the income tax that is collected from the Panchayat. It should be set apart for Panchayat. The sales tax and all those taxes, which you have collected from within the areas of Panchayat should be set apart for the development of Panchayat's functioning. There was an attempt to that effect also.

Lastly, there was another Commission -- Justice Verma Commission -- which also took evidence and came to certain conclusions. Now, the net result was that the Panchayats continued as such without much power. We all know that in the Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution, there is a provision that the State shall endeavour to form Panchayats in the State. It was not by any statutory provision. It was only in the Directive Principles of State Policy that the State shall endeavour to form Panchayats in the State. This led to much difficulty in the formation of the Panchayats.

Now, I would like to submit that I had to continue as Panchayat President for decades because no elections were conducted in those days. There is no provision for election in Panchayats in the Constitution.

MR. CHAIRMAN : Just a minute. Now, it is already 6 o' clock. माननीय सदस्यों, इस समय 6 बज चुके हैं, इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय मंत्री जी के जवाब देने तक बढ़ा दिया जाए।

SHRI PRABODH PANDA : Sir, my submission is that this discussion could be completed today but the Minister may reply to the debate tomorrow.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): No… (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA : Please see the attendance in the House. It is very thin. It is such an important subject. So, I would request that the reply may be given tomorrow… (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, the reply could be taken up tomorrow… (*Interruptions*)

SHRI B.K. HANDIQUE: Tomorrow, we have to take up other important businesses and we are already short of time. So, the reply may be given today itself… (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA : Moreover, there is no quorum also… (*Interruptions*)

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Not only that, this is a very serious matter. The hon. Minister should reply to this debate tomorrow, when the House would be in full attendance… (*Interruptions*)

MR CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Let us hear the hon. Minister.

पंचायती राज मंत्री, क्या आप कल जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर आप कल के लिए तैयार हों तो इसे कल कर दिया जाए।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I am a servant of the House and I would be happy to reply tomorrow if that be your direction. If I have to reply today, that be your direction, I would reply today… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : सदन की क्या सहमति है?

SEVERAL HON. MEMBERS: The reply to this debate may be given tomorrow.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): It is a very important subject. The reply to the debate could be taken up tomorrow. The whole House is concerned; the Press is concerned; and the whole country is concerned on this very important issue.… (*Interruptions*)

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, let the reply of the hon. Minister be tomorrow… (*Interruptions*)

SHRI B.K. HANDIQUE: Sir, as I have already told you, we are hard-pressed for time. We have to transact so many businesses. Let the reply be today itself… (*Interruptions*) I think, the hon. Minister would take more than an hour to reply to the debate. So, it would be very difficult to accommodate tomorrow… (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA MIDNAPORE: Moreover, there is no quorum also… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let us take the sense of the House. सदन की क्या सहमति है?

SHRI PRABODH PANDA MIDNAPORE: The sense of the House is that the hon. Minister should reply to this debate tomorrow… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All right. We would conclude the discussion today and the reply would be tomorrow.

SHRI B.K. HANDIQUE: Tomorrow, we have to take up Supplementary Demands for Grants(Railways) also… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You may do it on some other day. I have given you the option..

Yes, Mr. Radhakrishnan, you may continue your speech.

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति महोदय, कृपया पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को यह कह दीजिए कि जहा रूलिंग बेंचेज को देख लें। एनडीए ने तो वाक-आउट किया है …(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमण सिंह जी, आप सीनियर मेम्बर हैं, आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विाय है। [r57]

Mr. Radhakrishnan, please try to conclude your speech.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The Panchayats were not given powers to function as a unit of administration. Even the legislation that was made in the States did not give powers to the Panchayats.

Now, I remember when I was the Panchayat President, the powers were not enough even for running the office because the State did not take any interest in the matter of giving powers and financial independence to the Panchayats. No traveling allowance was given to the President. He was not allowed to travel from his Panchayat to another place. There was no traveling allowance. We had to spend from our own pockets and go to the State's Capital without getting any TA. So, there was such a reckless condition of Panchayats in those days.

I functioned there. The main duty of the Panchayat was to keep the sanitary conditions of the village intact. That was done perfectly well by the Panchayats. In spite of the fact that the Panchayat President was elected after heated contests in the elections, he has only a petitioning authority. I had to give petitions to the concerned Ministry or to the concerned Government official for getting redressal of a particular village's needs. The condition was deplorable.

There was no definiteness about the elections. When the Ruling Party in a particular State was in favour of contesting the elections, then the local elections had taken place. Otherwise, if the political condition was not favourable, the Ruling Party would not conduct the elections. So,

to some extent, there were Panchayat Presidents who continued as such for nearly one quarter of a century.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: This was the situation. Now, everybody, all those concerned with local administration, felt the need to give more powers to the Panchayats, and that was agreed to. Fortunately, Shri Rajiv Gandhi took the initiative and we have the present three-tier Panchayat system.

18.07 hrs (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

So, from my experience, I would submit that the Panchayats should be given more powers. Now, it is a fact that some Governments may come in power and they will take away the powers that were vested in the Panchayats by the previous Governments. Take for example, in the case of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, powers were given to the Panchayats. Subsequently, the Government itself took the initiative and took back the powers that were given to the Panchayats. So, considering all these aspects, political considerations should not weigh in the matter of Panchayat administration. That is our bitter experience.

To prevent such an occurrence, I would suggest that there must be some legislation. Powers to the Panchayats must be given. If the Government indulges in some activities, then what is the position? We had the people's programme but it was not functioning properly. The State Government was not prepared to divest the powers to the Panchayats. The Panchayats could not function as such. So, there must be a clear-cut idea about the way in which the Panchayats will have to function.

I think he has done a very commendable job though it is a voluminous subject.… (*Interruptions*) Anyhow, the subject is voluminous. I congratulate Shri Mani Shankar Aiyar for having taken pain to review the whole situation and come with concrete proposals. His work will be a commendable one in the history of development of Panchayats in the nation. Shri Mani Shankar Aiyar will be remembered for a long time to come for his strenuous activities and for his committed approach to the Panchayat administration. Though he was abruptly taken from another Portfolio and brought to this Ministry, he has done a very commendable job.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I appreciate him and I give him all encouragement. I will remember him always for having taken a laborious task for developing the Panchayat Raj institutions in the country.

With these words, I conclude. Thank you.

[MSOffice58]

MR DEPUTY SPEAKER: Shri L. Rajagopal to speak now. Please be brief as I have three more Members to speak.

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I will be very brief and I will complete in five minutes and not more than that.

I would like to remember here the words of Mahatma Gandhiji – the cause of liberty becomes a mockery if the price to be paid is the wholesale destruction of those who are to enjoy this liberty. Mahatmaji wanted the people's Government. That is why we chose to have democracy wherein we have different forms of political systems and different forms of governance. We have Panchayats – middle level Panchayats and district level Panchayats and then we have the State and then the Centre. All these various forms of governance should have the powers to function so that the administration is taken to the doorsteps of the people. That is why we said democracy is for the people, by the people and of the people. But somewhere down the line, it got changed. 'By the people' has become 'buy the people'; 'for the people' became 'far the people' and 'of the people' became 'off the people'. So, we have been moving away from the people and the real aspirations of Mahatma Gandhiji have not been fulfilled.

That was the time when our former Prime Minister late Rajiv Gandhiji realized that 85 per cent of the resources are getting wasted; in fact, 85 per cent is being taken for the administrative costs and only 15 per cent is reaching the doorsteps of the people in the villages. Then he looked at as to what were the real problems and he said – we need to decentralize so that the powers are devolved and the Panchayat system is empowered and the collection of funds takes place there and the expenditure takes place there so that the real governance which is more efficient and which is not complacent can be had in India. That is why late Rajiv Gandhiji amended the Constitution to bring in the Panchayati Raj system and gave powers, gave teeth to the entire Panchayati Raj system.

Here, I would like to comment that in the last two-and-a-half years of my public life, especially as a Member of Parliament when I have seen how the Panchayati Raj system works. In fact, I am much honoured that our hon. Minister is here. He came all the way to Vijayawada, to my parliamentary constituency where we held a *Gram Sabha* in a village, Paritala, on the outskirts of Vijayawada where thousands of people came. The Panchayat President was there. The Members came. In fact, the hon. Minister was shocked to find out that the Panchayati system is a one-man system; the Members are not taking part in the discussions, the agenda is not properly discussed etc. He found out that this is the case in most of the places around this country.

In fact, he gave valuable suggestions as to how the Panchayats should function. The hon. Minister can come once in a year or once in five years. But he cannot touch every Panchayat. In fact, we have to empower and we have to give enough teeth in the legislation so that there is proper mechanism where the powers are devolved not to the President alone, but to the Members of the Panchayat and the Panchayat system.

Likewise, at the middle level or at the district level, all of them should have enough powers. In fact, some States have already given and transferred various Departments to the Panchayat system. Still there are many others who have not done it. Recently, the Government of Andhra Pradesh has signed an MoU with the hon. Minister when he visited in April, 2006 to transfer immediately ten Departments to the Panchayat Raj system; and in a phased manner, in the next two to three years to transfer all the 29 Departments to the Panchayat raj system.

Here, I would like to point out certain glaring defects. I feel that the Panchayat Raj system is only depending on the funds to be allocated by the Eleventh Finance Commission and the resources that they raise locally. We will need a system where every Department's every revenue collection has to be shared by the Panchayat Raj system right from village level to the intermediate level and to the district level and then to the State Government and then to the Central Government. All of them have to have a revenue sharing basis so that the money does not flow from the ground level all the way up to Delhi and then it is re-allocated from the top down the line. That is not the way we should have it. We should have a proper system where it is possible that all funds are collected and shared by various stages of Panchayat system and they do not have to beg anybody for funds. They should have their own financial power, their own resources to execute their programmes.

Unless we empower them financially there is no point in having the system. In fact, it is only for the sake of power that they are contesting and maintaining their posts. In terms of actual execution, the people still look towards an MP or an MLA. When an MLA or an MP comes, he feels that he will be getting some funds. He wants the Chief Minister to come because he feels that if the Chief Minister comes he might give some funds. [MSOffice59]

Why should they depend on anybody's mercy, whether it is the Prime Minister, Chief Minister or a Member of Parliament? They should have a clear-cut line of resources so that they can have the resources to fulfil their needs. Not only that, we are seeing in West Bengal and other States how people are agitating whenever there is land acquisition for industries. Yes, we need to have industries also, apart from agriculture because industry is a value-addition to agriculture. Unless industry comes up, we cannot have employment and we cannot have value-addition to the agriculture produce. Once there is revenue sharing by the panchayats, the panchayats will come forward and say 'take our land and put up industries here so that we can have our share of revenue from the sales tax, excise duty and income tax'. This will ensure that they do not have to go anywhere or to anybody to have funds. Now, they think that it is not the industry which is providing them funds; they think it is the Chief Minister and the Prime Minister who is giving the funds. In fact, we should not have that process in our democracy. People should not be at the mercy of any leader or anybody else. They should have their own might and their own resources – financial and otherwise also – so that they can then create their own world so that they can live peacefully.

I hope that our hon. Minister will travel widely and cover most of the districts and States of this country and try to see, try to realise the real dream of late Rajiv Gandhi and Mahatma Gandhi that Gram Panchayats are strengthened. *Sampoorna Swaraj* is not possible without *Gram Swaraj*.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, मैं आपकी इजाजत से श्री बासुदेव आचार्य द्वारा पंचायती राज विाय पर चलाई जा रही महत्वपूर्ण चर्चा का स्वागत करता हूं। मैं कह सकता हूं कि इस मुल्क में पंचायती राज व्यवस्था अन्य मंत्रालयों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है और यही एक ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति को इंसाफ दिला सकती है। अगर जमीनी सतह पर लोकतंत्र की कोई कसौटी है तो वह सिर्फ पंचायती राज ही है।

हिंदुस्तान गांव में रहता है, जहां पंचायत होती है। पंचायती व्यवस्था केवल आज से ही नहीं, बल्कि हजारों वाँ से चली आ रही है, लेकिन समय-समय पर इसका नाम जरूर बदलता जा रहा है। हजारों वा पहले गांव के लोग कुनबों में, कबीलों में रहते थे, उस समय भी पंचायत थी। आज की पंचायत का आधुनिकीकरण हुआ है। लेकिन समय के साथ बदलाव के कारण अच्छाइयों के साथ-साथ कुछ खराबियां भी इस व्यवस्था में आ गई हैं। इस व्यवस्था में अच्छाई के साथ बुराई यह आ गई है कि इसमें भ्रटाचार आ गया है, बेईमानी आ गई है, जबकि पिछले जमाने में ऐसी कोई बात नहीं थी।

पहले गांवों में जितनी भी तरक्की होती थी, चाहे स्कूल हों, पक्की गलियां हों या किसी सार्वजनिक जगह पर एक कमरा ही क्यों न बनाना हो, पंचायत स्वयं सारा काम कराती थी। गांव की टूटी-फूटी गलियों की मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था, प्याऊ और जितने भी बड़े-बड़े तालाब या सार्वजनिक स्थल मिले हैं, उन्हें कौन बनवाता था, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर पंचायतों ने ही बनाया, जिनके पास न सरकार थी और न ही पर्याप्त मात्रा में धन होता था, लेकिन एक सोच थी, सच्चाई थी, ईमानदारी थी। सिर्फ सोच को विकसित करने का सवाल है। स

वाल है कि हम सोचें कि कैसे गावों का विकास किया जा सकता है, कैसे लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा की जाए? आज बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, काफी योजनाओं का काम पूर्ण हो गया है, इन योजनाओं में कमीशन की चोरी होती है, कितनी ज्यादा चोरी होती है, इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। गांवों में बीडीओज़ हैं, बीएलडब्ल्यू हैं, लेकिन बेचारे सरपंच को कोई नहीं पूछता है। बीएलडब्ल्यू सरपंच का सैक्रेटरी होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो सरपंच बीएलडब्ल्यू का सैक्रेटरी होता है।[MSOffice60] इस तरीके से बीडीओ की बात करें यह किस का सैक्रेटरी होता है? ब्लाक समिति का होता है। आस्था और उम्मीद के साथ आप लोगों ने, बुजुर्गों ने चाहे महात्मा गांधी जी हों, उनके बाद राजीव गांधी जी हों, सब ने इसका विस्तार करने की कोशिश की जो बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी इसमें बहुत इंटरस्ट ले रहे हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद है। अगर आप प्लानिंग से और ईमानदारी से पंचायतों को मजबूत कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहां इसके इलैक्शन को 6 महीने हो गए हैं। इसके पहले एक हजार पंचायतों का इलैक्शन नहीं हुआ था। यह स्थिति है। अगर इलैक्शन ही नहीं होंगे और सरपंच नहीं बनेंगे तो लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? जब किसी के बीच जमीन का झगड़ा होता है तो वह पंचायत में जाता है। झगड़ा सास-बहू के बीच होता है तो पंचायतों में जाता है। झगड़ा किसी पेड़ को लेकर होता है कि वह उसके यहां है तो उसे पंचायत सुलझाती है। चाहे कोई भी झगड़ा होता है तो वह पंचायतों में जाता है। गांवों में 90 परसेंट केस अदालतों में नहीं जाते हैं। मैं यह बात लिख कर दे सकता हूं। ये झगड़े पंचायतों के माध्यम से निपटाए जाते हैं। अगर सरपंच नहीं होते तो ऐसे सारे मामले अदालतों में जाते। मेरी रिकवैस्ट है कि इसे मजबूत किया जाए। आपने वहां जो स्कीम्स भेजी हैं चाहे सैंट्रल स्पौन्सर्ड स्कीम हों, चाहे स्टेट की हों, उनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। आप देखें कि जमीनी सतह में क्या हो रहा है? अगर कोई सरपंच के घर जाता है तो वह उनको चाय पिलाता है। गांव के बाहर का कोई आदमी आता है तो वह पूछता है कि सरपंच का घर कहां है? नम्बरदार और सरपंच दो ही गांवों में खास होते हैं। हम सरपंच को कोई ऑनरेरियम नहीं देते हैं। हमारी स्टेट ने उनको कुछ नहीं दिया। मैं सही बात कह रहा हूं। वहां एक पैसा सरपंच को नहीं मिलता है। वहां म्युनिसिपल कमेटियां हैं। नोटिफाइड एरियाज हैं। वहां सब को तनख्वाहें मिलती हैं। उनका ऑनरेरियम लगा है। वह सरपंच को नहीं मिलता है क्योंकि वह गांवों में रहता है, वह सीधा है और वह वहां के लोगों की सेवा कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरपंच को कम से कम पांच हजार रुपया ऑनरेरियम मिलना चाहिए और एक हजार रुपया पंचों को मिलना चाहिए ताकि गांव की ठीक ढंग से तरक्की हो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एनजीओ की कोई फाइल दिल्ली से चलती है तो उसके बीच में बहुत लूट होती है। ...(व्यवधान)

मेरा आखिर में यह कहना है कि सरपंच को पूरी पावर्स दी जाएं। जितने स्कूल, डिस्पैंसरियां हैं या एनिमल हजबैंडरी है, हॉर्टिकल्चर है, ,एग्रीकल्चर है या जितनी चीजें हैं, कहा गया है कि उसकी सारी पावर्स उनके पास हैं लेकिन वह कहीं नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको सारी पावर्स दी जाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत मेहरबानी। मैं मणिशंकर अय्यर जी का शुक्रिया अदा करता हूं। वह बहुत मेहनत कर रहे हैं, डटकर करें ताकि पूरी पंचायतें उनका गुणगान करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next speaker is Shri K. Francis George. Please be brief while speaking on this issue, and try to conclude your speech within three-four minutes.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Yes, Sir. I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the issue -- the mid-term review of the working of the Panchayati Raj institutions. There have been a lot of speakers to speak on this issue, and all of them have highlighted the problems that are being faced by the Panchayati Raj institutions in our country. [r61]

There have been seven Round Table Conferences in which the problems and prospects of working of the Panchayati Raj institutions have been discussed threadbare. I am happy to note that the hon. Minister has taken so much interest in the working of our Panchayati Raj institutions. He had visited our State and various other States also. He had been to Kerala where Panchayati Raj institutions almost work as a role model for the whole country. Kerala has been almost the first in the country to give power down to the District level back in 1991. Later on, according to the 73rd and 74th Constitutional Amendments we had established the three-tier Panchayati Raj system and we have implemented the people's plan programme.

The main thing I want to point out is that whichever party or coalition is in power, funds have to be provided to the Panchayati Raj institutions. At times we see that due to political considerations these institutions are starved of funds. It is not enough that we equip them with administrative powers, we have to devolve funds also. We should ensure that every financial year, a certain quantum of funds automatically reach Panchayati Raj institutions. As of now that is not the case. Funds are devolved according to the whims and fancies of the State Government which is in power at a particular point of time. That would not help in the efficient functioning of the Panchayati Raj institutions. To realize the dream of Father of the Nation Mahatma Gandhiji and to achieve Gram Swaraj it is essential that we equip our Panchayati Raj institutions with powers and with enough funds.

The Twelfth Finance Commission has recommended to grant Rs.20,000 crore over a period of time to be released to the Panchayati Raj institutions all over the country. I think the Central Government should ensure that each State Government, in every financial year transfers these funds without fail to the three-tier Panchayati Raj system. Then only these institutions can function. Then only the aspirations of people at the grassroots' level can be realized through these Panchayati Raj institutions.

In a country like ours with over 100 crore people, it is only through the Panchayati Raj institutions, the local self Governments, that we can fulfill the basic needs of our people. So, to equip these institutions should be the main criterion, whoever is in power. In our system, parties or coalitions change every five years. These elections are not held simultaneously. So, if the majority of the Panchayati Raj institutions are being ruled by a particular party or a coalition, in many States we find that when the administration changes at the State level these institutions are starved of funds. The Central Government should ensure that this practice should stop forthwith.

I would like to point out that according to the decisions that have been taken in the National Development Council we should further equip these institutions. We are now having the Mid-Term Review. We should further equip these institutions to realize the goal of Gram Swaraj in our country.

उपाध्यक्ष महोदय : संसद सदस्य अपनी स्पीच सभा पटल पर ले कर सकते हैं,उसे प्रोसीडिंग्स का पार्ट माना जाएगा।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस एरिया से आता हूं वह दमन और दीव यूनियन टेरिटरी है। हम लोग आजादी से 14 साल पीछे हैं क्योंकि 450 साल पुर्तगालियों की गुलामी में थे और 19 दिसंबर, 1961 में हमें आजादी मिली थी।[r62] उसके बाद गोवा, दमन एवं दीव हमारे साथ में थे। वहां हम जो पंचायतें चलाते थे, उनके लिए कोई ग्रांट नहीं मिलती थी। 1987 के बाद हम गोवा से अलग हुए, जब गोवा को स्टेटहुड मिला। उसके बाद हमारी पंचायतों को थोड़ा सा लाभ मिलने लगा। 1973-1974 के अमैन्डमैन्ट के

मुताबिक हमें 29 सब्जैक्ट्स दिये गये थे। लेकिन उन सब्जैक्ट्स को देने के बाद हमें जो पावर्स दी जानी चाहिए थी, वे पावर्स अब तक नहीं दी गई है। हमें ये सब्जैक्ट्स सिर्फ नाम के लिए दिये गये हैं, उनकी पावर्स नहीं दी गई हैं। 1994 के बाद जिला पंचायतें बनाई गईं और पंचायत राज बनाने के बाद हमें थोड़ी सी पावर्स मिली हैं। लेकिन जो पावर्स मिली हैं, उसमें जिस तरह पंचायत राज चलाना चाहिए, वह हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। 1995-1996 में फाइनैन्स मिनिस्ट्री से एक कमीशन वहां गया था। उस समय से सिलवासा और दमन हम दोनों मिलकर सरकार को सात हजार करोड़ रुपये देते हैं, जिसमें से 28 परसैन्ट पैसा हमें देने का वायदा किया गया था। लेकिन वह पैसा हमें अब तक नहीं मिला है। उसी ग्रांट से हम लोग काम चलाते हैं, उसमें तीन लाख रुपये हर पंचायत को हर साल देते हैं। उसके पहले हम लोग जो हाउस टैक्स की रिकवरी करते थे, उसमें से सौ परसैन्ट मैचिंग ग्रांट मिलती थी, लेकिन वह ग्रांट अब बंद कर दी गई है। सिर्फ तीन लाख रुपये देते हैं। तीन लाख रुपये में हम छोटा सा काम भी नहीं कर सकते और पंचायतों को नहीं चला सकते। हमारी मांग हैं कि हमें जो पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स को बढ़ाया जाए। 29 सब्जैक्ट्स में जैसे प्राइमरी एजूकेशन को 104 धोरण दिया है। लेकिन हमारी बाजू की स्टेट गुजरात और यूनियन टैरिटरी सिलवासा को 107 धोरण और दमन एवं दीव को 104 धोरण दिया है। यह क्या है। मेरा निवेदन है कि 107 धोरण प्राइमरी एजूकेशन को देने की जरूरत है। 1994 के अमैन्डमैन्ट के पहले हमें जितनी भी ग्रांट मिलती थी, वह मैटिंग ग्रांट मिलने के बाद हम काम चला सकते थे। लेकिन अब वह काम नहीं चल पा रहा है। जब जिला पंचायतें बनाई गईं तो उन्हें थोड़ी पावर्स दी गई, लेकिन फुल पावर्स नहीं दी गई। क्योंकि वहां जो आई.ए.एस. ऑफिसर्स हैं, वे पावर्स देना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों के पास से पावर्स पंचायतों को चली जाएं, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वे लोग पावर्स नहीं देते हैं। मेरा निवेदन है कि पंचायतों और जिला पंचायतों को फुल पावर्स दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने 44 पोस्ट्स क्रिएट करने के लिए पत्र लिखा है। लेकिन अब तक एक भी पोस्ट क्रिएट करने की परमीशन नहीं मिली है। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वे पोस्ट्स हमें दी जाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, the Panchayats and Municipalities have existed for long in this country. But unfortunately these institutions were not able to function satisfactorily for any length of time after they stood superceded. Mahatma Gandhi loved Panchayat Raj Institutions and upon the views of Gandhiji article 40 was included in our Constitution under the non-enforceable part IV on the Directive State Principles of State Policy. It said that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with necessary authority “to function as units of self Government”. No attention was paid to article 40 until late Prime Minister Rajiv Gandhi took serious interest and initiative to bring forward a constitutional amendment. It was however opposed on the grounds of its being an effort to reach the Panchayats directly, by passing the states. The amendment finally became a reality during Narasimha Rao’s time. The seventy-third and seventy-fourth constitutional amendments have made some protection to Panchayats and Municipalities. In every state a three tier system is envisaged area (i) Panchayats cannot remain superceded for long (ii) All Panchayats seats would be reserved for women, scheduled castes and scheduled tribes (iii) there shall be fixed five year term for all panchayats. They shall have their own budget, power of taxation have their own budget, and list of items in their jurisdiction.

In our country there are 2,33669 Gram Panchayats. Elected representatives for Gram Panchayats are SC = 493255 (18.9%)

ST = 319701 (12.3%)

Women= 977298 (37.5%)

General = 1795852

---

*The speech was laid on the Table.

Panchayat Samiti:

Total	=	6085
SC	=	33123 (21.2%)
ST	=	11598 (7.4%)
Women	=	58347 (37.4%)
General	=	111239

Zila Parishad:

Total	=	534
SC	=	2774 (18.3%)
ST	=	1680 (11.1%)
Women	=	5785 (38.2%)
General	=	10684

The Constitution of India Article 243G envisages the powers, authority and responsibilities of Panchayats. Eleventh Schedule under Article 2439 explains 29 matters are listed for Panchayats.

1. Agriculture, including agricultural extension
2. Land Empowerment, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation.
3. Minor irrigation, water management and water shed development
4. Animal husbandry, dairying and poultry
5. Fisheries
6. Social forestry and farm forestry
7. Minor Forest Produce
8. Small scale industries, including food processing industries
9. Khadi, village and cottage industries
10. Rural housing
11. Drinking water
12. Fuel and fodder
13. Roads, bridges, ferries and other means of communication
14. Rural Electrification including distribution of electricity
15. Non-conventional energy sources
16. Poverty alleviation programme
17. Education including primary and secondary schools
18. Technical training and vocational education
19. Adult and non formal education
20. Libraries
21. Markets and Firs
22. Health and sanitation including hospitals, primary health centres and dispensaries
23. Family Welfare
24. Women and child development
25. Cultural activities
26. Social welfare, including welfare of the handicapped and mentally retarded
27. Welfare of the weaker sections and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes
28. Public distribution system
29. Maintenance of community assets

Out of above 29 matters, only few were allotted to Panchayats throughout the country. Most of the states are not ready to delegate these powers to Panchayats. According to the Interim Report in Tamil Nadu only rural roads, water supply, sanitation and rural housing schemes are allotted to Panchayats and remaining 25 matters are in paper only. The conditions of Gram Panchayats are very poor. Panchyat Presidents have to spend their own money to go to collectorate even for official work since no traveling allowance is paid to them. The Panchayats are not having power and not having any fund. Throughout the country 977298 women are occupied as elected representatives in village panchayats but none of them are having fund to implement any scheme. They are all begging the MPs and MLAs to get fund for the implementation of schemes. Union of India has to direct the all State Governments to implements all 29 matters. (i) "The Land development, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation.

(2) Minor irrigation, water management and watershed development are in the hands of Agricultural Engineering Department and Districts Rural Development Agency. My Dindigul District is included as one of the Backward District in this country and implemented (RSYV) Scheme and allotted in crores. A huge amount was allocated for the above two schemes. But total amount is swallowed by Agricultural Engineering Official and other officials. If these schemes were implemented through panchayats certainly the benefits could have reached the poor masses.

Moreover in 3 tier system the Chairperson to be elected directly by the public or otherwise it will leads to more corruption in this system. Once again I urge upon the Government of India to allocate sufficient funds for panchayats and the same may be sent to Panchayats Presidents

directly.

In the same manner the Town Panchayats and municipalities are also not able to implement any schemes due to financial crunches. Government of India has to earmark certain fund for town panchayats and municipalities. Their position is worst than the Gram Panchayats. They are not able to maintain even street lights, public toilets, roads and sanitation. Most of the town panachayats and municipalities are not having sufficient staffs. They are not having even scavengers. Unless this situation is changed the representatives of the local bodies cannot walk in the street. We give namesake power but actual power is not given.

Our Hon'ble Panchayat Raj Minister Shri Mani Shanker Ayer had toured throughout the country and he is well aware of all these things. Hence I humbly request him to take suitable steps for the successful implementation of Rajiv's Dream.

Furthermore, I want to thank our Hon'ble Prime Minister and Madam Soniaji to form separate Ministry for Panchayat Raj. The Ministry came into existence on 27.5.04. Within 30 minutes our Hon'ble Minister, Shri Mani Shanker Ayer toured throughout the country and met the elected representatives of Panchayat Raj Institutions and submitted this Interim Report. It is a highly appreciable task undertaken by our Hon'ble Minister Shri Manishankar Iyer and his team. I am thanking them.

Once again I am reiterating the vision of Mahamaji.

"Poorna Swaraj through Gram Swaraj"

***डॉ. अरविन्द शर्मा (करनाल) :** महोदय, देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने के लिए पंचायती राज का जो स्वप्न महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी एवं स्व. श्री राजीव गांधी जी ने संजोया था, आज उसस्वप्न को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार श्रीमती सोनिया गांधी एवं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सभी सहयोगी दलों के सहयोग से पूरे देश में विकसित करने के लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है। स्व. राजीव गांधी का 3टायर पंचायती राज का सिस्टम जो उन्होंने अपने दिल में संजोया था, आज हमारी सरकार पुरजोर कोशिश से उसको पूरा करने में लगी हुई है। ग्राम स्तर पर पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर से सभी ब्लॉक समितियों को एवं जिला स्तर पर सभी जिला परिदों को एवं अन्य सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दए जा रहे हैं, जिससे देश के हर कोने का विकास होता जा रहा है। हिंदुस्तान गांवों में बसा है, इसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है।पंचायती राज को और ज्यादा अहम बनाने के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने चाहिए जैसे कि :

शिक्षा का विकास - सभी गांवों में पंचायतों को राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा धन आबंटित करना चाहिए और सभी गांवों में सरकारी स्कूल खोलने चाहिए ताकि वहां के गरीब युवा शिक्षा ग्रहण कर सकें और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी युवक इन स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करता है, हरियाणा सरकार की तरह उनको नौकरियों में ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता - केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गांवों में स्वास्थ्य कैंप लगवाने चाहिए ताकि गांवों के गरीब लोग इन फस्ट एड सेंटरों में अपना प्राथमिक उपचार करवा सकें और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे कर वहां के शिक्षित युवकों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पल्स पोलियो जैसे कार्यक्रमों को और बढ़ावा देना चाहिए तथा गांवों में प्र ाशिक्षित ए.एन.एम. तथा स्टाफ नर्सों की नियुक्तियां भी होनी चाहिए।

पीने के पानी की व्यवस्था - आजकल हमारे देश में स्वच्छ पेयजल की कमी है और सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों द्वारा सर्वप्रथम सभी गांवों एवं शहरों में पीने के पानी की उपलब्धता करानी चाहिए।

इंदिरा आवास योजना - इस योजना के तहत गरीबों को आबंटित धनराशि 15000 से बढ़ा कर 20000 तक करनी चाहिए ताकि वहां की गरीब महिलाएं एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके।

---

*The speech was laid on the Table.

सुलभ शौचालय - सभी गांवों एवं शहर के गरीब कस्बों में सरकार द्वारा अधिक से अधिक सुलभ शौचालय खुलवाने चाहिए ताकि वहां की महिलाएं जंगल में शौच इत्यादि के लिए नहीं जाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र के पानीपत शहर में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 14 गांवों को निर्मल घोति किया गया है।

पंचायती राज के अधीन सभाएं - जिला प्रशासन के द्वारा सभी गांवों में, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर सभी निर्वाचित पंचों, सरपंचों एवं सदस्यों की महीने में मीटिंग बुलानी चाहिए तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की सूची तैयार करके उनको पूर्णरूप से अमलीजामा पहनाना चाहिए। लोक कट निवारण समितियों एवं जिला मोनिटरिंग एंड विजीलेंस कमेटियों को और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जा सके।

लघु उद्योगों की स्थापना - सरकार द्वारा सभी गांवों में शिक्षित युवकों के लिए और महिलाओं के लिए छोटे-छोटे घरेलू एवं कुटीर उद्योगों को लगाने के लिए धनराशि आबंटित करनी चाहिए और इनको समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि ये आत्मनिर्भर हो सकें। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को और ज्यादा कारगर तरीके से बढ़ावा देना चाहिए।

खेलों को बढ़ावा - सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर खेलों के लिए स्टेडियम बनवाने चाहिए और समय समय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए टूर्नामेंट करवाने चाहिए तथा सरकारों द्वारा खेलों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ वहन न करना पड़े। सभी प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित कोचों की व्यवस्था समय पर करनी चाहिए।

अतः महोदय जी के माध्यम से मेरी माननीय मंत्री, भारत सरकार से गुजारिश है कि पंचायती राज को पूर्ण रूप से लागू करें ताकि लोकतंत्र प्रणाली और मजबूत हो सके।

SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): First of all, I thank the hon. Minister of Panchayati Raj for submitting the report on Mid-Term Review and Appraisal and initiating a healthy discussion on this.

The objective is to strengthen the Panchayati Raj Institutions to enable them to emerge as institutions of self-governance for planning and implementation of programmes for economic development and social justice, as envisioned in the Constitution.

Several rounds of Round Table Conferences and appraisals held on the subject to review the activities to assess the level of achievements of the targets reveal certain facts which are not up to the expectations. It is also varying from State to State. The States should be urged to ensure speedy devolution of funds, functions and functionaries to empower the *Gram Sabhas.* The report of actual implementation of programmes and projects envisaged under various rural development schemes tells us a sad tale. Therefore, strict monitoring and vigilance at Central, State and District levels, and if possible at the block levels too, with the involvement of people's representatives alone can help salvage the situation.

Earmarking equal and sufficient quantum of funds by all the States to empower the panchayats financially will go a long way in fulfilling the objectives. Many States are allotting meagre funds for the panchayats. Adequate powers are not devolved to them and the functions are not defined clearly. All these incongruent actions of various State Governments will not help strengthen the Panchayati Raj system.

The indirect mode of electing the Chairpersons of the local bodies is paving a way for numerous bottlenecks and unhealthy practices. Our experience in Tamil Nadu in the local body elections held recently bore testimony to this. A suitable mechanism, therefore, should be evolved to avoid such undesirable situations in future.

So, the Government is requested to ensure equal and sufficient allotment of funds and devolution of powers by all the State Governments to the local bodies to enable them to strengthen their administrative prowess for attainment of the objectives envisioned by our great leaders and enshrined in our Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The discussion on this is over. अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो अब हम ज़ीरो-ऑवर लेते हैं।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, attacks on journalists are becoming very common nowadays. Recently, about two days back, a very senior journalist of 25-30 years standing had been attacked. He belongs to my constituency, but works in Delhi. He had been working with *The Times of India, The Indian Express* and some of the other major papers. Now, he is working as the Chief of Bureau in Zeevan TV, which is a Malayalam Channel.

Two days back, he along with camera man, was coming back to the Bureau after covering some official work, when he was attacked by a person who is known to him and two other *goondas.* He has been very brutally attacked and he has been hospitalized. I understand that he has given a statement in the hospital, but no case has been registered. I also understand that somehow the persons who had attacked him are being safeguarded by some higher ups. We find that such incidents are happening again and again. So, journalists in general and in this case particularly, are facing very serious problems. I, therefore, urge upon the Government to take serious action in such cases generally and especially in this case immediately. Thank you.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I would like to associate with what he said.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Francis George is allowed to associate himself with this issue.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I would like to draw the attention of the Union Government to the special provisions in the Army Act. Yesterday, the Prime Minister made a declaration that the provisions will be withdrawn as far as Manipur is concerned. There were human right violations in that State and the law and order situation also had gone from bad to worse.

Considering all these aspects, especially in the interest of democracy and maintaining human rights, it is only just and proper that the special provisions with regard to Manipur State in the Army Act be withdrawn and suitable amendments may be brought before the House without delay during this Session itself. [MSOffice63] This is a matter of urgent public importance and the nation itself has taken note of the situation. While associating our feelings with the feelings of the people of Manipur, I would say that this draconian law must be changed.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इज़ाजत से मैं हाउस का ध्यान एक अर्जेंट मैटर की तरफ खींचना चाहता हूं। हमारी स्टेट में पिछले कइ ٛसालों से मिलिटैंट्स अटैक होते रहे है, हो रहे हैं औरआगे भी अनुमान है कि होते रहेंगे। अब सर्दियां शुरु हो चुकी हैं। इस समय स्नोफॉल भी शुरु हो चुकी है। हमारी आर्मी जो हायर रीचेज़ पर बैठी रहती है,

उसकी वापसी नीचे शुरु हो जाती है। उसके नीचे चले जाने से ऊपर का एरिया असुरक्षित हो जाता है। इस कारण वहां मिलिटैंट्स अटैक होते हैं और लूट होती है।

उपाध्यक्ष जी, पिछले दिनों मेरी कांस्टीटुवेंसी के लोग मुझसे मिले थे और मुझे बताया कि आर्मी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। जब आर्मी ऊपर रहती है तो मिलिटैंट्स डरकर वहां नहीं आते हैं, उस कारण हमारे गांव सुरक्षित रहते हैं। यह मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हालांकि आर्मी सियाचिन में भी रहती है और वहां पूरे इंतज़ामात होते हैं लेकिन पिछले दिनों तीन अटैक हुये हैं। पहला कुलहान में हुआ, उसके बाद दूसरा डुडु वसंतगढ़ में हुआ और उसके पहले प्राणकोट में अटैक हुआ था। इसके पहले सरकार ने वायदा किया था कि जब श्री एल.के. आडवाणी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। मैडम सोनिया ने भी वहां दौरा किया था और कहा गया था कि वे हम लोगों को कनैक्टिविटी देंगे लेकिन आज तक नहीं हो पायी है। जब डुडु वसंतगढ़ और कुलहान में हमला किया गया तो यही कहा गया था लेकिन मुझे अफसोस है कि चाहे वहां सरकार कहे या दूसरा कोई कहे, वायदा करके मुकर जाते हैं। मेरी रिक्वैस्ट है कि विलेज डिफैंस कमेटी की हालत बहुत खराब है, उनके पास वर्दी नहीं है, जूते नहीं हैं और हथियार भी सोफैस्टीकेटेड नहीं हैं। मेरी मांग है कि उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिये सरकार कार्यवाही करे ताकि लोग मिलिटैंट्स के अटैक से बच सकें।

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये शुक्रिया। मुझे वरिठता के आधार पर सुलतानपुर जिले की सतर्कता और निगरानी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। मैंने नियमानुसार बैठकों का संचालन किया है जिसकी रिपोर्ट अधिकारी बराबर सरकार को भेजते रहे हैं। मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जिला सतर्कता एवं निगरानी कमेटी के गठन होने के बाद उसकी प्रथम बैठक 15.07.05 को जिलाधिकारी श्रीमती कामिनी चौहान के साथ बुलाई गई थी, जो मेरी अध्यक्षता में हुई थी । उसके बाद द्वितीय बैठक 4-5 बार बुलाई गई और उसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया था । प्रदेश शासन औरज़िला प्रशासन की मिलीभगत से बैठक टालते रहे। जब 2006 में बैठक होने वाली थी, जब मैं सुलतानपुर पहुंचा तो मेरे बैठक में पहुंचने से पहले ही बैठक स्थगित कर दी गई। उसके बाद 10.06.06 को मेरी अध्यक्षता में तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती वीणा कुमारी एवं तमाम सदस्यों के साथ बैठक की समीक्षा की। उसके अलावा ग्रासरुट लैवल के विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि मुझे उपरोक्त पद से हटाकर श्री राहुल गांधी को उस समिति का चेयरमैन बना दिया गया है।[s64][s65]

यह भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत है। यह मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्य होने के नाते किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम सदस्यों को संरक्षण देना आपका काम है। मैं चाहता हूं कि आप इस घटना की जांच कराएं और उक्त पद पर बने रहने का निर्देश भारत सरकार को दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on 5th December, 2006.

18.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday December 5, 2006/Agrahayana 14, 1928 (Saka).

---

cd. by o [R1]

[MSOffice2]fld by q1

[r3]Followed by r

[r4]Cd by s1

(fd. by t1)

[MSOffice6]fd by c1

fd. by l [R7]

[MSOffice8]fld U

cd. by w [s9]

cd by x1

[rep11]y1cd

(Cd.by y1) [r12]

[y13]fld by b2.h

[r14]Fld by c2

Fd. By e2

[R15]

[MSOffice16]CTD. BY G2

[MSOffice17]contd by h2

contd by J2 [s18]

cd.. by k2 [r19]

Cd by l2 [r20]

[r21]Cd by m2

[MSOffice22]cd N2

[rep23]o2cd

(C [r24]d.by p2)

cd. by q2 [R25]

Shri Manvendra Singh cont [v26]

cd by r2.h [v27]

cd by s2

[MSOffice28]

Cd by t2 [MSOffice29]

cd. by u2.h [H30]

sh. shailendra kumar cd. [R31]

cd. by w2 [R32]

Cd by [MSOffice33]x2.h

contd by Y2 [s34]

cd.. by z2 [r35]

Cd by a3 [r36]

Ctd by b3

[r37]

cd. by c3 [s38]

cd. by ‘d3’ [R39]

[MSOffice40]panda-cd.

[r41](Cd.by f4)

cd. by g3 [R42]

cd by h3.h

[v43]

Ctd by j3 [r44]

cd. by k3 [R45]

Contd by l3.e [r46]

cd. by m3 [R47]

[MSOffice48]cd by n3.h

Cd byp3 [r49]

(cd. by q3) [MSOffice50]

Ctd by r3

[r51]

[R52]cd. by 's3'

cd. by x3 [R53]

cd by y3.h

[v54]

cd by z3 [MSOffice55]

cd. by a4

[R56]

[r57]Flkd by b4.e

[MSOffice58]FD. BY C4

[MSOffice59]contd by d4

[MSOffice60]cd by e4.h

[r61]cd.. by f4

Cd by g4 [r62]

[MSOffice63]cd J4

[s64]

cd. by k4 [s65]